भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(वधालों का निर्नेमन और प्रकात)

विनियम 1990

मं. 3114 मी एडी. बांग्ड्/सामान्य वितियम.—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक बीर्ड भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक प्रधितियम, 1989 (1989 का 39) का धारा 52 द्वीरा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय भीखोंकि विकास बैंक के पूर्व अनुमोदन से निम्न-निवित वितियम बनाता है प्रयोग:--

- मक्षिप्त नाम और लागू होना: (1) इन विनियमों का संक्षिप्त अक्षम भारतिय लिझु उद्योग विकास बैंक (वंग्रपदों का निर्गमन और प्रवंध) विनियम: 1990 है।
- (2) ये चिनियम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ग्रिधिनियम, 1989 की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के ग्रिधीन लघु उद्योग बैंक द्वारा पुरोधृत भीर विश्वविकागण बंधपत्रों की लागु होंगे।
- 2. परिभाषाएं इन विनियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ में शोई प्रतिकृत बात न हों--
 - (क) "प्रधिनियम" में भारतीय लघु उद्योग विकास वैक प्रधिनियम, 1989 प्रभिन्नेत है,
 - (ख) "तथपत्रों" से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के प्रधीन लघु उद्योग वैक द्वारा पुरोधृत या विकय किए गए वधपत प्रभिन्नेत हैं.
 - (ग) ''लघु उद्योग बैंक' से घिधिनियम के घधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक घिषित्रेत है,

- (घ) "विरुपित बंधपत्र" में वह यंधपत्र सभिप्रेत हैं जिसके महत्वपूर्ण भाग पपठतीय धीर प्रस्पटर हो गए हैं घीर बंधपत्र के महत्वपूर्ण भाग थे होते हैं जहां:
 - (1) बंधपत की संख्या, निगंमन, जिसमें वह संबंधित है, बंधपत्र का श्रेकित मृत्य या ब्यान का मंदाय श्रमिनिखित किया गया है, या
 - (2) पृष्टांकन या पाने वाले का नाम निवा है, या
 - (3) नवीकरण रमीद या अंतरण ज्ञापन दिया गया है।
- (ङ) ''प्ररूप'' से इन विनियभों की ग्रनुसूची में दिया गया प्ररूप ग्रमिप्रेत है।
- (च) "खो गया बंधपत्र" से वह बंधपत्र ग्राभिन्नेत है जो वास्तय में खो गया है ग्रार वह बंधपत्र ग्राभिन्नेत नहीं होगा जो दावेदार के प्रतिकृत किसी व्यक्ति के कब्जे में है.
- (ছ) ''विकृत बंधपत्र'' से वह बंधपत्र ग्रभिप्रेत हैं जिसके महस्तपूर्ण भाग विकृत, फटे या नुकसानग्रस्त हैं,
- (ज) "निर्गमन कार्यालय" से लघु उद्योग बैंक का बहु कार्यालय प्रभिन्नेत है जिसकी तहियों में बंधपत्र रजिस्ट्रीकृत किया गया है या रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा.
- (ज्ञ) "बिहित प्रधिकारी" से लघु उद्योग बैंक का भहाप्रयंधक या ऐसे प्रधिकारी प्रभिन्नेत हैं जो लघु उद्योग बक का निदेशक योर्ट इस्स बिनियम 11, 12, 13, 15, 17, 19, प्रीर 20 के प्रयोजनों के लिए प्राधिकत किए जाएं:---
- (त्र) स्टाक प्रमाण पत्र से विनियम अ के मधीन, जारी किया गया स्टाक प्रमाणपत्र सभिप्रेत है।

- 3 वंधपत्रो का ा आर उनके हसांतरण का वंग्र ग्रादि -(।)वंध ^{মা} চ
 - (क) कियो निश्चित व्यक्ति को या उसके बादेणानुगार संदेव तचनपत्र के, या
 - (ख) लघु उद्योग बंक की बहियों में रिजिस्ट्रीकृत स्टाक के इस में जिसके लिए स्टाक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, निर्धामत किए जाएगे।
- (2) (क) यस एन के का में निर्मानित बंधपत्र परेशानुसार, संदेश नव । ने का नरह पट्डाकृत झार परिदान द्वारा झंतरणीय हाला
 - (ख) वचनाहा के रूप में जारी किए गएबंबपल पर कोई लेख, पृथ्योकन के उद्देश्य के लिए विधिमान्य गहीं होगा, यदि ऐसा लेख वंधपत्र द्वारा ग्रीभीहत रकम के केवल एक ग्रंग का ग्रंतरण करने के लिए तालायित है।
- (3) स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गमित भीर लघु उद्योग बैक की बहियों में एजिस्ट्री रून बंधपत्र प्ररूप 5 में प्रतरण के दस्ता थेज का निष्पादन करके याती पूर्णतः या प्रंगतः अंतरणोय होगा ऐसे मामने में प्रंतरक स्टाब के रूप में, जिससे प्रंतरण संबंधित है. निर्गमित बंधपत्रों का धारक समझा जाएगा जब तक कि प्रंतरिनी का नाम लघु उद्योग बैक द्वारा रजिस्ट्री रून नहीं किया जाता है।
- (3) (क) इसमं प्रतिकृत किसी बात के होते हुए भी लघु उद्योग बैंक बंधपवीं के हकदार व्यक्ति के प्रतृरोध पर बंधपत्नीं के हकदार व्यक्ति के नाम में लघु उद्योग बैंक हारा रखें जाने बाल खाने में एक प्रविष्टि के रूप में बंधपत्न निर्मामन करेगा।
 - (ख) बंबाब या तो बबाकों भी प्रतिसृति के समय प्रारंभ में . तपु उद्योग वैक की लेखा-बहियों में प्रविष्टि के रूप में . या बाद में बचन पत्र या स्टाक के रूप में निर्गमित बंबात्रों के संपरिवर्तन द्वारा निर्गमित किए जा सर्वेगे।
 - (ग) यदि कोई वधपत्र पहने ही वचनपत्र के रूप में निर्गमित किया जा नुका है तो लघु उद्योग बैंक में किसी खाते में प्रतिष्ट के रूप में उसको धारण करने का इन्द्रुक बंधपत्र धारक प्ररूप XI में मध्यपेक्षा करेगा भीर लघु उद्योग बैंक की बहियों में किसी खाते में प्रविष्टि के रूप में बंधपत्र को धारण करने के लिए लघु उद्योग बैंक के पक्ष में सम्पक रूप में पृथ्डोंकित बंधपत्र का ग्रम्थपंण करेगा।
 - (प) यदि बंधात स्टाक प्रभाणपत्न के रूप में निर्गमित किया गया है तो धारक बंधपत्र का लघु उद्योग बैंक के पक्ष में मतरण ध्या मनुरोध के साथ करेगा कि उसे बंधपत्र धारक के नाम में लघु उद्योग बैंक द्वारा रखे जाने वाले खाते में प्रविष्टि के रूप में धारण किया जाए.
 - (ङ) लघु उद्योग वैक द्वारा रखे गए खाते में प्रविष्टि के हप में बंधपत्नों को धारण करने वाला कोई व्यक्ति प्ररूप - XII में श्रावेदन करके बंधपत्नों को वचनपत्न या स्टाक प्रमाणपत्न के रूप या भंतरित या संपरिवर्तित करा सकेगा।
 - (व) लघु उद्योग बैक की बहियों में खाते में प्रविध्टि के रूप में बिध्या निर्मामित करने के लिए या पहले ही निर्मामित बेध्याओं की बनगाव या लघु उद्योग बैक की बहियों में प्रविध्य के रूप में स्टाक में संपरिचर्तित करने के लिए पत्रमा बहियों में प्रविध्य के रूप में स्टाक को या बचनगव के काल में स्टाक को या बचनगव के काल में स्टाक को अपनिचर्तित करने के लिए कोई कीम प्रभाव नहीं है।

- (छ) लघु उथांग बेक की बहियों में प्रविध्ति के रूप में निर्गामित या धारित बंधपत्र प्रश्रप XIII में प्रतरण लिखत का निष्पादन करके प्रतरणीय होंगे। ऐसे मामलों में अंतरक ऐसे बंधपत्रों का जिनके संबंध में अंतरण है, धारक ऐसे समय तक समझा जाएगा जब तक प्रतरिती का नाम लघु उद्योग बेक में प्रविध्ति नहीं कर दिया जाता है।
- (प) (क) बंधपत लघु उद्योग विकास बैंक के प्रबंध निदेशक के या उसके अनुपरिवित में विश्वी कार्यपालक निदेशक भीर/या उसके महाप्रवेशक के हस्ताक्षर से निर्मामित किया आएगा जो मुद्धित, उत्कीण, लिथी किया हुमा या लघु उद्योग बैंक के निदेशानुसार किसी दूगरी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा छना होगा।
 - (ख) इन प्रकार मुद्रित, उत्कीर्ण, लिथो किया हुमा या धन्यथा छपा हुमा हस्ताक्षर उसी प्रकार विधिमान्य होगा मानो वह हस्ताक्षरकर्ता के प्रपने ही उचित हस्तलेखा में किया गया है।
- (5) बचनपत्र कं रूप में किसी बंधपत्र का मोई भी पृष्टाभन या स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में किसी बंधपत्र के मामने में पंतरण की कोई लिखन तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक वह धारा के या सम्यक रूप से गठिता उसके घटनी या प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से न की गई हो, ऐसी लिखत किसी बंधपत्र की दशा में स्वयं बंधपत्र के पृष्ट पर बचनपत्र के रूप में घोर किसी स्टाक प्रमाणपत्र की दशा में पंतरण की लिखत पर लिखी जाएगी।
- 4. न्यास मान्यता प्राप्त नहीं है :--(क) लघु उद्योग बैंक को किसी न्यास या किसी बंधपत की बाबत धारक के अपर पूर्ण प्रधिकार से भिन्न प्रधिकार को, भेजे हो उसको उसको सूबना हो, मान्यता देने के लिए बाध्य या विवश नहीं किया जाएगा।
- (ख) उप विनियम (1) के उपबन्धों पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना लघु उद्योग वैंक, प्रनुप्रद्र के तौर पर प्रीर प्रगने किसी दायिश्य के विना, स्टाक के रूप ने निर्गमित किसी बंधपत्र के धारक द्वारा, स्टाक के ब्याज पर या परिपक्तना मूल्य के संदाय या स्टाक के मंतरण या उसके संवंध ों ऐसी बातों पर निदंश जिन्हें लवु उद्योग वैंक उतित समझे, प्रपनी विद्यों में प्रभित्विद्धित कर सकेगा।
- 5. त्यासियों और पदधारकों द्वार। स्टाक प्रमाणपत्र के क्ष्य में निर्गमित बंधपत्र धारण करने के लिए उपबन्ध: (1) कोई पदधारक स्टाक प्रमाण-पत्र के रूप में कोई बंधपत्र—
 - (क) अपने वैयक्तिक नाम में, जिसका लघु उद्योग बैक की बहियों भीर स्टाक प्रमाणपत्र में न्यासी के रूप में वर्णन है, उसके प्रायदन में विनिर्दिष्ट न्यास के न्यासी के रूप में या किसी ऐसी पहुंता के बिना न्यासी के रूप में, या
 - (ख) भगने पद के नामें से,

धारण कर सकेगा।

- (2) उस व्यक्ति द्वारा जिसके नाम में बंधपत्र है, लघु उद्योग बक्त द्वारा प्रपेक्षित प्ररूपों में लघु उद्योग बैक को किए गए लिखित प्रावदन पर भीर बंधपत्र के प्रध्यपंग पर लचु उद्योग बैक---
 - (क) उंग अपनी बहियों में किसी थिनिस्टिट त्यास के त्यासी के रूप में या किसी त्यास के विनिदेश के बिना त्यासी के रूप में प्रथिष्ट कर गर्केगा भ्रोर यथास्थिति, त्यास के विनिदेश के साथ या थिनिदेश के थिना, त्यासी के रूप में उल्लिखित उसके नाम में स्टाक प्रभाणपत्र अारी कर सकेगा, या

- (ख) उसे उसके पद नाम से स्टाक प्रमाणपत्न जारी कर सकेना प्रीर उसे प्रमुना बहियों में, प्रावेदक के प्रमुरोध के प्रमुग़ार उसके पद नाम से स्टाक के धारक के रूप में उल्लिखित करते हुए प्रविष्ट कर सकेगा, परन्तु यह तब जब --
 - (i) उन्त प्रनुरोध इस विनियम के उप विनियम (i) के उपवन्धों के प्रनुरूप है,
 - (ii) उप विनियम (7) के निबंधनों के अनुमार लघु उद्योग वै। द्वारा प्रशंक्षित श्रावश्यक माध्य पंण कर दिया गय।
 - (ii/) यदि, यथपत वचनगत्न के रूप में हैं तो यह लघु उद्योग यो के साम पुटशक्ति कर दिया गया है मीर यदि वयात स्टाक प्रभाणपत्न के रूप में हैं तो उसकी रिजर्स्ट्री-इत धारक द्वारा प्ररूप X में रसीद दे दी गई है।
- (3) उप विनियम (1) के प्रधीन स्टाक प्रमाणपत पदधारक द्वारा या तो श्रकेले या ग्रंग्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ या किसी पदधारण करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारित किया जा सकेता ।
- (4) जब स्टार कियां व्यक्ति द्वारा ग्रपने पद के नाम में धारित किया जाता है नब संबंधित स्टार प्रमाणपत्न से मंबंधित कोई दस्तावेज उस समय उम नाम से, जिसमें स्टारू प्रमाणपत्न धारण किया जाता है, पद धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा मानो उसका वैयक्तिक नाम इस प्रकार कथित है।
- (5) जहां लघु उद्याग वैक को बहियों में न्यासी या पदधारक के रूप में उल्लिखित स्टाक प्रमाणपत धारक हारा निष्पादित किया गया सात्प्रित कोई भंतरण विलेख, मुक्तरनामा या अन्य दस्तावेज लघु उद्योग वैंक को इस बात की जांच करने की प्रावण्यकता नहीं होंगी कि क्या स्टाक धारक किसी न्यास या दस्तावेज या नियमों के निर्वधनों के प्रधीन कोई ऐसा भ्रधिकार देने या ऐसा विलेख का प्रत्य दस्तावेज निष्पादित करने का हकदार है, भीर ऐसे भंतरण-विलेख, मुक्तारनाम या दस्तावेज पर उसी प्रकार कार्य कर सकेगा मानो निष्पादक स्टाक प्रमाणपत्र धारक है, भीर चीहे भंतरण विलेख, मुक्तारनाम या दस्तावेज में स्टाक प्रमाणपत्र के धारक को न्यासी या पृद्र धारक के रूप में उल्लिखित किया गया हो या नहीं भीर चाहे उसका स्थासी या पदधारक को भगनी हिसयत से भंतरण विलेख, मुक्तारनाम या दस्तावेज का निष्पादित करना तात्पर्यित हो या नहीं।
- (6) इन विनियमां की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी त्यास था किमी दस्तावेज या नियमों के अधीन किन्हीं न्यासियों या पद धारकों ग्रीर हिताधिकारियों की, त्यास गठित करने वाली लिखत के उपवन्धों या उन संस्था के, जिसका स्टाक प्रमाणपत्न धारक पद का धारक है, नियमों को विधि के नियमों के प्रनुसार न करके प्रत्यथा कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है भीर लधु उद्योग बैंक भीर किसी स्टाक प्रमाणपत्न में कीई हित धारण या भिजत करने वाला कोई व्यक्ति या कोई स्टाक प्रमाणपत्न धारक की किसी स्टाक प्रमाणपत्न के संबंध में लच्च उद्योग बैंक द्वारा रखें गए किसी रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के या स्टाक प्रमाणपत्न से संबंधित किसी दस्तावेज में किसी वात के कारण किसी त्यास या किसी स्टाक प्रमाणपत्न धारक की वैश्वासिक बाध्यता की सूचन; है।
- (7) किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद के धारक के रूप में इस विनियम के अनुसरण में किए गए किसी आवेदन पर या किसी दस्तावेज पर जिसका निष्पादित किया जाना तार्त्पायत है, कार्य करने से पूर्व लघु उद्योग बैंक यह साक्ष्य पेण करने को अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति उस पद का तेस्समय धारक है।

- 6. स्यास/स्वासी (स्यासियों) द्वारा यजन पत्नों के रूप में निर्धासन संबंधक धारण करने के लिए उपसंध --(1) विनियम 4 के उप-विभिन्न (1) के उपवंधी पर प्रतिकृत प्रभाव द्वारों बिना, लघु उद्योग बैधः प्राधेवक के प्रभूशेच पर श्रार लग् उद्याग की के दायिस्व के बिना, यवास्थिति किसी विनिद्दिष्ट स्वाम या उस स्वाम के स्वामी (स्वामियों) के नाम में या पावेदक के वैगिवनक नाम में, उसे उत्तरे प्रावंदन में विनिदिष्ट स्वाम के स्वासी के रूप में बचनपत्र के स्वामी के द्वाप्त निर्धायन निर्धायन कर मकेना।
- (2) जहां बननभन्न के रूप में कोंड बंधपत्न धारक के वैयवि। ह नाम में है वहां लघु उद्योग बैक, लघु उद्योग बैक द्वारा ध्रणेक्षित प्ररूप म उसके द्वारा किए गए धाबेदन पर तथा ऐस बंधपत्न के ध्रथ्यपंग पर इस के उपितनियम (1) में प्रधिकथित रीति में यननभन्न के रूप में सबीकृत बंधपत्न निर्मानित कर सकेगा, परस्तु यह यह अविक---
 - (i) इसके उप विनियम (6) के निरंधना के **धनुसार** लगु उद्योग यैंक द्वारा घनेश्चित घावण्यक साध्य प्रस्तुत कर दिया गया है. भोर
 - (ii) बंधपत्र लघु उद्याग बेक के पक्ष में पृष्ठाकित कर दिया गया है।
- (3) उप-विनियम (1) के मधीन बंधपन्न किसी स्थास के स्थासी द्वारा मकेले या उस न्यास के न्यासियों के रूपम किसी म्रन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्तः धारण किया जा सकेगा।
- (4) जहां बचनपत्र के रूप में कोई बंधपत्र त्यासी के रूप में बंधपत्र धारक द्वारा पृट्ठांकित किया गया तात्पियत है या जहां बंधपत्र धारक द्वारा निष्पादित किया गया कोई मुक्तारनामा या प्रस्य दस्तावेज लघु उद्योग के में पेल किया जाता है वहां लघु उद्योग के को यह जांच करने की मावश्यकता नहीं होंगी कि क्या बंधपत्र धारक किसी त्यास या दस्तावेज या नियमों के निवंधनों के मधीन ऐसा पृष्ठांकन करने या ऐसा मुक्तारनामा या प्रत्य दस्तावेज निष्पादित करने का हकदार है मार पृष्ठांकन, मुक्तारनाम या बंधपत्र पर उसी रोति से कार्य करसकेना मानो ऐसा पृष्ठांकन बंधपत्र धारक है मीर चाह बंधपत्रो धारक पृष्ठांकन, मुख्तारनाम या दस्तावेज में त्यासी के रूप में उल्लिखित है या नहीं भीर चाहे त्यासी की हैसियत में उसका ऐसा पृष्ठांकन करना या मुक्तारनामा या दस्तावेज निष्पादित करना तास्पयित हो या नहीं।
- (5) इन विनियमों की किसी वात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी त्यास या किसी दस्तावेज या किन्हीं नियमों के मधीन किन्हीं भ्यासियों भीर हिताधिकारियों को स्थास को लागू होने वाले विधि के नियमों या त्यास गठित करने वाली लिखत के निवंधनों के मनुसार न करके मत्या कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।
- (6) किसी व्यक्ति द्वारा किसी त्यास के त्यासी के रूप में इस विनियम के अनुसरण में किए गए किसी अबिंदन पर कार्य करने से पूर्व लघु उद्योग वैंक यह गांध्य पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा कि ऐंगा व्यक्ति उस त्यास का तत्समय न्यासी है।
- 7. ब्यक्ति जो धारक होने के लिए निर्राहत है:—कोई भी ग्रवयस्क या कोई भी व्यक्ति जो सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित का पाया गया है बंधभूतों का धारक होने का हकदार नहीं होगा।
- 8 व्याज का संदाय:--(1) वचनपत्न के रूप में बंधपत्न पर व्याज का संदाय, निर्ममन कार्यालय या बंधपत्न प्रास्पेक्ट्रन में विनिदिष्ट लघु उद्योग बैंक के किसी दूसरे कार्यालय द्वारा वंधपत्न धारक द्वारा ऐसी प्रांपानारिकताओं के पालन के प्रधीन रहते हुए जिनकी लघु उद्योग के। प्रपेक्षा करें भीर बंधपत्न को पंग किए जाने पर, किया जाएगा।
- (2) स्टाक प्रमाणपत्न के रूप में बंधपत्न पर स्थाज का संदाय. मेंपाने वाले के खाते में देय रेशित धर्धिपत्न जारी करके या ऐसी प्रस्य रीति में किया जाएगा जेंसी लधु उद्योग बैकड़ारा विनिध्यित की जाए। स्थाज के

सदाय के समय स्टाक प्रमाणपत्र पेज करने की घपेक्षा नहीं की जाएगी किन्तु पाने वाला घांधपत्र के पीछे उतकी प्राप्ति घांक्सिकोर करेगा।

(3) लघु उद्योग दैक की बहियों में प्रविध्टि के रूप में धारित किमी बंधपत पर ब्याज का संदाय लघु उद्योग बैक द्वारा पाने वाले के खाने में देय रिवित प्रथिपत जारी करके या ऐसी प्रस्य रीति में किया जाएगा जैसी लघु उद्योग बैंक द्वारा विनिध्यित की जाए।

9. सचनपत्न के रूप में वधपत्न के खो जाने मादि पर प्रविधा:--- (1) जिस किसी बंधपत्न के बारें म यह मिनकथित हो कि वह भो गया है, चोरी हो गया है, नट हो बेया है, मंगतः या पूर्णनः विकृत मथवा विरूपित हो गया है, उसके स्थान पर उसकी मनुलिप जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्न निर्ममन कार्यालय को मेज जाएगा मीर उसमें निम्नलिकन विणिष्टिया होगी, मर्थात :--

- (क) स्पण, कं प्रतिजन भारतीय तथु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र श बंधपत्र सं (वर्ष)
- (स) निछनी छमाही जिसके लिए स्याज का सदाय किया गया है.
- (ग) यह व्यक्ति जिसको उक्त स्थाज का गंदाय किया गया था,
- (घ) वह व्यक्ति जिसके नाम में बंधपव निर्गमित किया गया था (यदि ज्ञात हो),
- (ङ) बंधपल के स्त्रों जाने, चोरी हो जाने, नग्ट हो जाने, विकृत या विरूपित हो जाने की परिस्थितियां, मोर
- (च) क्या बंधपत्र के स्त्रो ज्ञाने या कोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में की गई थी।
- (2) ऐसे घावेदनपत्र के साथ निम्नलिश्वित भेजे जाएंगे :--
- (क) जहां बंधपत्र रिजम्ट्री डाक में प्रेरित किए जाने के दौरान खो गया या वहां बंधपत्र प्रतितिष्ट करने वाले पत्र की डाकथर में प्राप्त रिजम्ट्री रगीड,
- (ख) यदि खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस को दी गई हो ती पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति,
- (ग) यदि घावेदच राजस्ट्रीकृत धारक नहीं है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लिया गया ऐसा जनपपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि घावेदक बंधपत्र का घंतिम विधिक धारक है, भीर राजस्ट्रीकृत धारक के हक का पता सगाने के लिए घावण्यक दस्तावेजी साक्ष्य, धीर
- (घ) खो गए, चोरी हो गए, नष्ट्र हो गए, विकृत या विरूपित बंधपत्र का कोई बचा हुमा भाग या टुकड़े।

10. राजपव में प्रधिमूचना:—वचनपव के रूप में बंधपत या उसके किसी भाग के खो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत या विरूपित हो जाने की प्रधिमूचना भागत के राजपत मोर उस स्थान के जहां बंधपत जो गया या चोरी, भट या विकृत या विरूपित हो गया चा, किसी स्थानीम राजपत में, यदि कोई हो, सगातार तीन मंकों में माबेदक द्वारा पुरस्त प्रकाणित की जाएगी। ऐसी मधिमूचना निम्निलिटिन प्रकृप में या सगभग ऐसे प्रकृप में होंगी जो परिस्थितियों से मनुझात हो:—

प्रतिषत बंधपत्र ता हिमार का भारतीय लगु उद्योग विकास बंक बंधपत्र सं जो मूलतः श्री के नाम में है भीर मितम बार श्री स्वत्वधारी को पृष्ठांकित किया सवा है जिसने उसका किसी मध्य व्यक्ति के नाम सभी पृष्ठांकन नहीं किया है श्री मया है/वारी हो गया है/नष्ट हो सवा है/विकृत या विक्षित हो स्था है, मतः इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निर्मम कार्यासय में उपर्युक्त बंधपत्र भीर उस पर संदेय ज्याज का संदाय रोक दिया गया है भीर इसके स्वत्यधारी के पक्ष में इसकी एक धनुस्तिष जारी किए जाने के लिए धार्यदेन प्रस्तुत किया जाने याला है या किया गया है। बनना को यह धेनावनी दी जाती है कि वे उपर्युक्त कथपत्र का त्रय या उसमें संबंधित धन्यथा कोई जैन-देन न करे।

प्रधिमुक्ति करने वाले ध्यक्ति का नाम निवास ^{*}जो लागून हो उसे काट दें।

- वंधपत्र की प्रनुतियि जारी करना प्रार उसके लिए धनिपूर्ति लेना :--
- (1) विनियम 10 में विहित प्रतिम प्रधिसूचना के प्रकाशन के प्रश्वात् यदि विहित प्रधिकारी का, बंधपत्र के खो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत या विक्रिपत हो जाने के संबंध में प्रीर प्रावेदक के दावे के प्राविद्य के संबंध में नमाधान हो जाता है तो वह बंधपत्र की विशिष्टियों को विनियम 13 के प्रधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित करण्या, प्रीर—
 - (क) यदि बंधपल का एक भाग ही खो गया है, बांगी हो गया है, तप्ट हो गया है, विक्षित हो गया है प्रीर यदि उसका कोई ऐसा भाग पेश किया गया है जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त है तो इसमें प्रांग उल्लिखन शतिपूर्ति बंधपल के निष्पादिन किए जाने पर विनियम 13 के प्रधीन सूची के प्रकाशन के तुरल पश्चात या उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से ऐसी प्रविध की समाप्ति पर जो विहित प्रधिकारी प्रावश्यक समझे यह प्रांत देगा कि स्थाज का संदाय किया जाए प्रांत उस बंधपल के स्थान पर जिसका कोई भाग खो गया है, बोरी हो गया है, तप्ट हो गया है, विकृत या विक्षित हो गया है, प्रावदक को उसकी प्रतृत्तिष जारी की जाए,
 - (स्त) यदि इस प्रकार को गए, नष्ट हो गए, विकृत या विक्यित बंधपत का कोई भी ऐसा माग पेण नहीं किया गया है जो उसकी पहचान के निए पर्धान्त है तो :
 - (i) उनत मूचो के प्रकाशन के दो वर्ष के प्रकान और इसमें धार्ग विहित रीति में क्षतिपूर्ति बंधपत्न के निष्पादित किए जाने पर, इसमें धार्म उपविधित चार बर्ष की धवधि के समाप्त होत तक, धाबेदक को इस प्रकार खो गर्, चोरी हो गए, तष्ट होगए, विकृतया विक्षित बंधपत्न की बाबत ब्याब का संदाय किया जाए, धीर
 - (ii) उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष के पश्यान प्रावेदक की इस प्रकार जी गए, चोरी हो गए, मध्ट हो गए, विश्वत या विकपित बंधपत्र की प्रतृतिपि जार। की जाए, परस्तु यह कि;
 - (1) यदि वह नारीख जिसको बंधपल प्रतिसंदाय के निए शोध्य है उस नारीख से पूर्व पहनी है जिसको वार वर्ष की उक्त प्रविध समाप्त होता है तो विहित प्रधिकारी, पूर्वतर नारीख से छह सप्ताह के भीतर बंधपत्रों पर शोध्य सूल रक्तम डाकपर यवन वैक में विनिहित कर देना घाँर इस रक्तम वा स्थान सहित जो उस पर ऐसे वैक में प्रोद्भत हुम्रा हो, प्रावेदक को उस समय पर संदाय करेगा जय संध्यात की गई होती घोर

- (2) यदि बंधपत की भनुलिपि जारी किए जानेसे पूर्व किमी भी समय मूल बंधपव मिल जाता है या निर्णमन कार्यालय को किन्ही ग्रन्थ कारणीं से ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रेण विखंडिय किया जाना चाहिए तो मामला विहित धधिकारी की धागे विचारार्थ निर्देशित किया जाल्या बांग उस बीच इस प्रदिश पर सभी कार बाई निल्लाबन कर दी आएमी।। वस्य उप विनियन के प्रधीन पारित धारण उसमें उल्लिखित चार वर्ष की धवधि सभाष्त होने पर कतिम हो जाएगा जब तक कि ध्य बीच उस धादेश की विकासित या धन्त्या उपानिरन नहीं कर दिया जाता है।
- (2) बिहित ग्राधिकारी किसी बंधपत की ग्रनुलिप जारी करने के पूर्व किमी भी समय ददि इसके पास पर्दाप्त कारण हो इस विनियम के मधीन जारी किए गए ग्रापने भादेण की परिवर्तित या रह कर सकेगा भीर यह भी निरंश दे सकेगा कि बंधपत की भ्रन्तियि जारी करने के पहले का भतराल चार वर्ष से मनधिक ऐसी मर्वाध तक बढ़ाया जाए जो वह ठीक समझे।
 - (3) क्षतिपृतियां -
 - (क) (i) जब उप विनियम (l) (क) के ग्रधीन निष्पादित की जाएं तव ग्रन्तवंतित स्याज की रकम की दुगुनी रकम के लिए मर्थात उस बंधपत्र पर प्रोदम्त शोध्य ब्याब की सभी पिछली रकम की दुगुनी रकम धन उस ग्रवधि मं, जो बंधपत्र की मनुलिपि जारी करने के पूर्व व्यतीन होनी चाहिए, उस बंधपत्र पर प्रोदभूत शोध्य व्याज की सभी रकम की दुगुनी रकम के लिए होगी, श्रीर
 - (ii) धन्य मभी मामलों में बंधपत्र के भंकित मृत्य की दूगनी रकम धन खंब्ड (।) के धनुसार मंगणिन व्याज की रकम की दुगुनी रकम के बिन् होगी।
 - (स्त्र) विहित प्रधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी अतिपूर्ति केवल प्रायेदक द्वारा ग्रयवा ग्रावेदक या ग्रपन द्वारा ग्रनु-मोदित एक या दो ऐसे प्रतिभूषों द्वारा जिन्हें वह उचित समझे निष्पादित की जाएंगी।
- 12 स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में बंधपत्र के खो जाने ग्रादि पर प्रविधा:-- (1) किसी ऐसे स्टाक प्रमाण पत्र के स्थान पर जिसके बार में यह प्रभिक्षित हो कि वह खो गया है, चोरी हो गया है, प्रमत: या पूर्णतः विकृत प्रथवा जिल्लित हो गया है, उसकी धनुलिपि जारी कराने के लिए प्रत्येक ग्रावेदन निर्णम कार्यालय को भेजा जाएगा ग्रांर उसके साथ निम्नलिखित भेजे जाएंगे,
 - (क) यदि स्टांक प्रमाण पत्र रजिस्ट्री डाक से प्रेपित किए जाने के दौरान खोगया है तो स्टाक प्रमाण पत्र मंतिबट करने बाल पत्र की डाक घर से रजिस्ट्री रसीद,
 - (स्त) यदि स्टाक प्रमाण पत्र के खो जाने या चोरी हो जाने की रिनोर्ट पुलिस में की गई हो तो पुलिस रिनोर्ट की एक प्रति.
 - (ग) मजिर्देट के समञ्जलिया गया ऐसा मन्द्रपत जिसमे यह प्रमाणित किया गया है कि प्रावेदक स्टाक प्रमाण पन का निविक धारक है और कि स्टाक प्रमाण पत न तो उसके कब्जे में ह भीर न ही उसने उसे अंतरित किया है, गिरवी रेखा है या .मन्यमा जम गर कोई लेन देन किया है. मोर
 - (ष) का गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गुए, विकृत या विकृषित स्टाक प्रमाण पत्र के असे हुए कोई भाग या ट्कड़े।

- (2) घावेदन में स्टाक प्रमाण पत्र के को जाने की परिस्थितियों का कथन किया जाएगा।
- (3) यदि विदित मधिकारी का स्टाक प्रमाणपत के खो जाने, चोरी हो जाने. नष्ट हो जाने. जिक्कत या विरूपित हो जाने के संबंध में समाधान हो जाता है तो वह मूल प्रमाण पत्र के बदने में उसकी धननिषि जारी करने का निदेश देगा।
- 13 धूची का प्रकालन -- (1) विनियम 11 में विधिष्ट सूची भारत के राजपत्र में धर्वविकि रूप में जनवरी भीर जलाई में या उसके पण्चात मुर्विबान्सार शोध्न प्रकाणित की जाएगी।.
- (2) सभी बंधात जिनकी बावत प्रादेश विनियम 🕕 के प्रशीन पारित किया गया है ऐसे भादेश पारित किए जाने के पश्चान प्रकाशित होने बाली पहली मुर्चीम गम्मिलित किए जाएंगे बार नत्यश्वात वे बंधपत्र प्रत्येक उत्तरवर्ती सुची में तब तक साम्मलित किए प्राप्त रहेंगें जब तक कि प्रथम प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की प्रकाि समाज नहीं हो जाती है।
- (3) मुची में साम्मिलित किए गए प्रत्येक बंधपत के गर्वध म निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएगी, घर्षात निर्मसन का नाम, वंधपव का संख्यांक, उसका मत्य, उस व्यक्ति का नाम जिसे वह निर्गमित किया गया या, वह तारं मा जिससे उस पर स्याज सगेगा, प्रनृत्तिप के लिए पावेदक का नाम, बिहित प्रधिकारी द्वारा स्थाज के संदाय पर प्रनितिष जारी करने के लिए पारित बादेश का संख्यांक बीर तारीख बीर उस मुची के प्रकाशन की तारीम्ब जिसमें वह बंघपत पहली बार सम्मिलित किया गया
- 14 लघु उद्योग बैक का विवेकाधिकार :-- विनियम 10, 11, 12 घोर 13 में किसी बात के होते हुए भी, जहां सम उद्योग बैक फिसी मामन में ठीक समझता है वहां बंधपन्न की प्रनुलिपि जारी करने के संबंध में उसमें विहित प्रतिया से मिश्रम्बिन देना कीर क्षतिपृति के बारे में हैसे निबंधनों पर, जो बह ठीक समझे, या प्रश्यथा बंधपत्र की प्रनुलिपि जारी करना सघु उद्योग बंक के लिए विधिपूर्ण होगा।
- 15. विकृत बंधपत का ऐसे बंधपक्ष के हेप में प्रवधारण जिसकी मन्तिप का जारी किया जाना ग्रंपीशत है :--विहित ग्रंधिकारी का यह विकल्प होगा कि बह किसी बंधपत्र की, जो विकृत या विकृपित ही गया है, ऐसे बंधपत के रूप में माने जिसकी बिनियम 11 के अधीन अनुलिपि जारी किया जाना या विनियग । अ के प्रधीन मात्र नवीकरण प्रगेक्षिल है।
- 16. बचनपत्र के रूप में बंधपत्र का नवं।करण कराने की कब प्रपेक्षा का जा सकेगी:- (1) बचनपत्र के रूप में बंधपत्र के किसी धारक से .निगमन कार्यालय द्वारा निम्नलिखित प्रवरयाघों में बचनपत्र का नवीकरण कराने के लिए उस पर रसीद लिखने की अपेक्षा की जा सकेगी, अर्थात :-
 - (क) यदि बंधपत्र के पीछे केवल एक भीर पृथ्ठीकन के लिए ही पर्याप्त स्थान बचा है या यदि कोई सब्द बंधपत पर बर्नमान पुष्टांकन या पुष्टांकनों के उत्पर लिखा गया है,
 - (छ) यदि निर्गमन कार्यालय की राय में बंधपत फटा हुमा है या किसी प्रकार से नुकसानपस्त या लिखाई में भरा हुया है या टीक नहीं है,
 - (ग) यदि कोई प्राटाकन स्पष्ट भीर मुक्तिन नहीं है या, यथास्थिति पान बाले का या पान कालों के नाम नहीं दशीला है या बंधपब के पीछे के पण्टाकन खानों में से किसी एक खाने में न करके किसी भीर तरीके में किया गया है,
 - (प) यदि बंधपत्र पर ब्याज दस वर्ष या उससे प्रधिक समय तक भनाहरित रहा है,

- (३) यदि यस्त्रम के पाँछ दिए गए स्वाज के स्तंभ पूरी तरह भर भए । या गाँव इस तारीम को जब स्थाज के खाहरण के लिए न एक परन्त किया जाता है. बंधानन के पीछे महित साली साथ उस इसाहिया के साथ मेल नहीं खाते. जिनके लिए स्थाज लोध्य ही गया है.
- (च) यदिक्यात्र के सदाय के लिए तीन बार मुखांकित किए जाते यर बद्धाव पिर मसाकन के लिए प्रस्तुन किया जाता है, भार
- (छ) आंट निर्माण कायालय की राम में स्थान के संदाय के लिए यजपत्र प्रस्तृत करने वाले व्यक्ति का हक प्रनियमित है सा पूर्णतया सावित नहीं हुगा है।
- (2) जब बंधात का नवीकरण कराने के लिए प्रध्यपेक्षा उप वितियम (1) के प्रधीन का गई है, तब उस पर धामें संदेय व्याज का संदाय करने से तब तक इंकार किया जाएगा जब तक उस पर नवीकरण के लिए रसीद नहीं लिख दी जाती है भीर बातरब में उसका नवीकरण नहीं कर दिया जाता है।
- 17. किसी मृत एक्साल धारक के बंधपत्र पर किस स्ववित के हुक को सान्यता दी जा सकेगी:--(1) किसी बंधपत्र के मृत एकसात धारक (धात यह दिन्दू, मृत्याम, पारधी हो या काई प्रत्या) के निष्पादक या प्रणासक या भारतीय उत्तराधिकार प्रधिनयम, 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के प्रधीन उस बंधपत्र की बाबत जारी किए गए उत्तराधिकार प्रभाणपत्र का धारक ही ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निर्गमन कार्यालय द्वारा बंधपत्र का हकदार होने की विहित प्रधिकारी के किन्हों साधारण या विणेष प्रसंदेशों के प्रधीन रहते हुए भाग्यता दी जा सकेगी।
- (2) भारतीय संविदा प्रधितियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी, दो या प्रधिक धारकों के नाम जारी किए गए. विश्वय किए गए या संदेय प्रभितिधीरित बंधपत्र के मामले में एकमान उत्तरजीकी या एक से प्रधिक उत्तरजीकी भीर प्रतिम उत्तरजीवी की मत्य के पश्चात उसके निष्पादक, प्रणासक या प्रत्य की धारक है। जो च्याब्य की बायत उत्तराधिकार प्रभाणपत्र का धारक है, ऐसा ब्यवित होगा जिसे निर्मान कार्यालय द्वारा बंधपत्र का हकदार होते की (विहित प्रधिकारी के किन्ही साधारण या विशेष प्रनुदेशों के प्रधीन रहते हुए) मान्यता दी जा सकेगी।
- (3) निर्धमन कार्यालय ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता देन के निए तब तक बाज्य नहीं होगा जब तक उन्होंने यथास्थिति, भारत में किसी संक्षत राशालय या कार्यालय से प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्राप्त नहीं किया है।
- (4) उप विनियम (1), (2) भीर (3) में विहित किसी बात के होते हुए भी, जहा बिहित ग्रिधिकारी भ्रपते पूर्ण विवैक में किसी मामले में ठीक समझता है बहा, प्रीवेट या प्रणासन पत्नों या विधिक प्रतिनिधित्व पत्नों का, क्षानिपृति के एमें निवंधनों पर या भ्रत्यथा, जो वह टीक समझे, पश्च किए जाने में प्रतिम्थित देना उसके लिए विधिपूर्ण होगा।
- 18 नामनिर्देशन ---(1) विनियम 17 में किसी बात के होते हुए भी जहा कोई उधापत एक या मधिक व्यक्तियों द्वारा धारण किया जाता है बहां, यथास्थित, एकमात धारक या सभी धारक मिलकर किसी व्यक्तिया किर्टी रिक्शियों को जाननिर्देशित कर मकते हैं जिन्हें, एकमात्र धारक की मृत्यू था सभी धारकों की मृत्यू की दशा में बंधपत्र पर शोध्य रकम का मंदाय किया जा संत्रेगा।

परन्तु अब कोई उच्चपत्र दो या ग्रधिक व्यक्तियों द्वारा धारण किया अता है तब नामानदेशियों सभी धारकों की मृत्यु पर ही रकम पाने का सन्दर्भ सामान

परन्तु यह द्वार है। इस विनियम की कोई बात किसी दावे पर प्रभाव नहीं डानेगी औ बायल पर शोध्य किसी रकम की बावत किसी बंधपव है बन धारक के लियों प्रतिनिधि को हो। (2) यदि उप विनियम (1) के मधीन दो या मधिक व्यक्ति नाम-निर्देणित किए जाते हैं तो वंधगव गर गोध्य रकम नामनिर्देणितियों में नामनिर्देणन में विनिद्दिन्द रीति में धितरित की जाएगी, मौर गैस नाम निर्देशन के सभाय में रकम मभी नामनिर्देशितियों में वराधर विवरित की जाएगी।

परन्तु यदि कोई नामनिर्देशन विद्यमान नहीं है या सदि ऐसा नामनिर्देशन शोध्य रकम के केयल एक भाग के संबंध में है तो संपूर्ण रकम का या उसके उस भाग का जिससे नामनिर्देशन संबंधित नहीं है. संदाय विनियम 17 के उपधिनियम (2) के स्रधीन उसके हकदार व्यक्तियों को किया आएसा।

- (3) उप विनियम (1) के मधीन कोई नामनिर्देशन, यथास्थिति एक मात्र धारक या सभी धारकों द्वारा मिलकर प्ररूप XV में किया जा सकेता।
- (4) ऐसे बंधपस्न की बाबत ही नामनिर्देशन किया जा सकेगा जो धारक की वैयक्तिक हैसियत में धारित है, धौर किसी गद के धारक के रूप में किसी प्रतिनिधिक हैसियत में या सन्यथा नहीं किया जा सकेगा।
- (5) जहां 'नामनिर्देशिती प्रवयस्य है, वहां यथास्थिति, एकमात्र धारक या सभी धारक मिलकर किसी व्यक्ति को (जो प्रवयक्त नहीं है) नामनिर्देशिती की प्रवयस्तता के दौरान बंधपत्र पर गोध्य रकम प्राप्त करने के लिए नियुक्त कर सकेंगे।
- (6) जहां कोई बंधपत्र फिसी प्रवयस्क के नाम में धारित है, वहां नामनिर्वेशन यदि कोई हो, धवयस्क की घोर से कार्य करने के लिए विधि पूर्ण रूप से हकवार किसी स्पक्ति हारा किया जाएगा।
- (7) कोई नामनिर्वेशन भारतीय लघु उद्योग विकास वैक को अध्यक्त के साथ प्रकप XV में कोई घावेदन प्रस्तुत करके प्रतिस्थापित किया जा सकेगा या प्रकप XVI में कोई घावेदन प्रस्तुत करके रह किया जा सकेगा।
- (४) कोई नामनिर्देशन या फिली नामनिर्देशन का कोई प्रतिस्थापन या रहकरण लघु उद्योग वैक की बहियों में रिजरट्रोइन किया जाएगा भीर रिजस्ट्रोइनरण का तथ्य बंधपन पर लिखा जाएगा भीर ऐसे रिजस्ट्रीकरण पर, ब्रथास्थिति, उक्त नामनिर्देशन, रहकरण या प्रतिस्थापन इस तारीख से प्रभावी समझा जाएगा जिसको यह प्रस्तुत किया गर्याथा।
- (9) इस बिनियम के प्रधीन सम्यक रूप में किए गए पीर रिजस्ट्री-कृत किए गए किसी नामनिर्देशन के प्रधीन बंधपन्न के संबंध में उन प्रधिकारों पर जो किसी नामनिर्देशिती ने प्रजित किए हैं, बंधपत्र की प्रनिलिप के जारी किए जाने के कारण प्रभाव नहीं पड़ेगा पीर नामनिर्द-शिती को बंधपन्न की प्रनुलिपि के संबंध में वहीं प्रधिकार होंगे जो उनके मुल बंधपन्न के संबंध में थे।
- 19. नवीकरण मादि के लिए रसीद:--(1) विहित मधिकारी के किन्हीं साधारण या विशेष मनुदेशों के मधीत रहते हुए, धारक के मावेदन पर निर्गमन कार्यालय मपने मादेश से--।
 - (क) धारक द्वारा बचनपत्र या बचनपत्रों के रूप में बंधपत्र या बंधपत्रों के परित्त कर दिए जाने पर घोर धपने दावे के घोचित्र्य के संबंध में निर्णमन कार्यालय का समाधान कर देने पर, बचनपत्र या बचनपत्रों का नृवीकरण, उप विभाजन या समेकन कर सकेगा, परन्तु यह तब जब कि बचनपत्र या बचनपत्रों पर, यथास्थिति, प्ररूप I, II या III में रसीद नित्त्व दी गई है, या
 - (छ) वचनपत्र या यचनपत्रों को स्टाक प्रमाणपत्र या स्टाक प्रमाण-पत्नों में संपरिवर्तित कर सकेगा परन्तु यह तब जब कि यचनपत्र या बचनपत्रों पर निस्तितितित पृष्टोक्षित कर दिया गया है:--"भारतीय लगु उथोग विकास बैक को संदीय करें" या

- and the same the same of the same of the same particles and the same of the sa (म) रेटाक प्रमाण पत्र या स्टाक प्रमाणवश्ची का मुवीकरण, उप-विभाजन या समेकन कर सकेगा परंतु यह सब जब कि स्टाक प्रमाणाव था रहार प्रमाणातों पर, यवास्थिति, प्रहप VI, VII या VIII म धर्माद क्षिम दी गई है, भा
- (६) स्टाम प्रमाणात्र या स्टाक प्रमाणपर्वी की वचनात्र या वचनपर्वी में संबन्धितित कर संकेगा परंतु यह तब जब कि स्टाक प्रमाण-पत्त ।। रहार प्रभागमधी पर प्रका IX में स्मीद निवादी मह 7. 41
- (इ.) एक शुख्या के बंबपत्नों को दूसरी शृंखता के बंबपत्नों में . संपरिवर्तित कर सकेगा, परन्तु यह तब जब कि
 - (i) श्रीकलायों का परस्पर संपरिवर्तन अनुसेय है, सीर
 - (ii) ऐसे संशिवनंत को शासित करने बालो शती का पालन -सिया गया है।
- (2) निगमन कार्यालय विहित प्रधिकारी के बादेशों के बधीन उप-विनियम (1) के प्रधान किसी बंधपत्र का नवीकरण, उप-विभाजन या समेकन करने के लिए, प्रावेदक से, विद्वित प्रधिकारी द्वारा प्रनुमोदित एक या मधिक प्रतिभुवों सहित प्रका IV में क्षति [ति निष्पादित करने का प्रांक्षा कर गरीमा।

20. हर के मंद्रेय में विवाद की रहा में बंधान का नवीकरण :---बहां किसी बंधात के हर के संबंध में, जिसके नवीकरण के निए कोई मावेदन किया गरा है, कोई विशाद है वहां बिहित सिंधानरों :

- (क) जहां दिवाद के किसी पक्षकार ने सक्षम प्रश्चिकारिता बाले किसी त्यायात्रय से ऐने बंधपत्र का हकदार होने का मंतिम थिनिरचय प्रभिप्रान्त कर निया है वहां ऐसे पक्षकार के पक्ष में नवीकृत यंधाव निर्गमिन कर सकेगा, या
- (ख) जब तर ऐमा विनिष्ट्य अभिप्राप्त गही कर लिया जाता है ंता वर तथात्र का नगेरूरंग करने से हंशार कर सकेगा।

मार्जा बरण

का बिरियन के प्रयोजनों के निष् "मंतिम निर्णय" पद से ऐसा वितिरंका प्रसिरें। है तो प्रयोलीय नहीं है या जो ्र करोजीय है किन् किनके विषद विधि द्वारा मनुज्ञान परिनीमा मयि के जीतर कोई मपीन नहीं की गई है।

21. नवीकृत चंचपत्र के संबंध में दावित्व मादि:--वव विश्वी व्यक्ति के पक्ष में वितियम ! । के मधीन बंधपत की मनुलिपि जारी कर दी गई है था नवंद्भित बंधपत्र निर्गमित कर दिया गया है या विनिध्य 19 के मधीन उप-विभाजन था समेकन होने पर नया बंबपत्र निर्शमित कर दिया

गया हत्तव इस प्रकार निर्वमित संक्षपत्र के थारे में समझा आएगा कि पह लयु उथोग बैंक मौर ऐसे व्यक्ति मौर तत्ताश्वात् उसकी मार्कन हक प्राप्त करने भाने मनी व्यक्तियों के बीच एक मधा करार पठित करता है।

22 उन्मोजन :---तम् उत्योग चैतः, परिलारतः पर संदर्ग उस चंच पत्र या उन बंधपत्नों को बाबन या जिलहे/जिलहे स्वान पर बनुनिधि, मबोक्त, उप-विभाजित या समेकित बंधगन्न निर्गमित किया गया है / विःए गए हैं →-

- (क) संदाय की दणा में उस तारीख से पार वर्ष गीत जाने के पश्वात्, जिसको संदाम गोध्य था,
- (स्व) मनुलिपि बंबात्र, की दशा में बिनाम 13 के मधीन उप सूची के, जिसमें बंधात का पहनी बार उल्लेख प्रकाशन की तारीख से, या विनियम ।। में उल्लिकात मृत बंधमत पर व्याज के संदाय की तारीख़ से, चार वर्ग बोत जाने के पश्चात् जो भी तारीच बाद की हो।
- (ग) नवीकृत बंधपत्र या उप-विभाजन या समेकन होने पर ानिर्गमित किए गए बंधपत की दशा में, उसके निर्ममन को तारीख से कार वर्ध बोत जाने के पत्रवानु उग्मोचित हो जाएगा।

23. ब्याज की बादत उन्मोबन :--बंधपत्र के निबंधनी में यथा प्रन्यथा मिनव्यक्त रूप से उपबंधित के मिनाए कोई भी स्थित किनी ऐसे बंबपत पर किसी भवधि को बावत, भो उन पूर्वाम तारी आ के पक्ष्वात् वोत गई है, जिसको ऐसे बंधपत पर मोध्य रहम के संदाय के लिए मांग भी जा सकती थाँ, ब्याज का दावा करने गा हकतार नहीं होगा।

- 24. बंबपत्र का उपनोवन:--(क) वा वनराप्र वा स्टाक प्रभागपत के कम में धारित कोई बंधनत सूत के संदार के लिए लोध्य हो जाता है तब यह सबु उधोन बैंक के ऐने कार्यातव में जिसमें उस पर स्थाज संरेप है या निर्मेषन कार्यालय में. उसके पुष्ठ पर धारक द्वारा सन्। इस्य से इस्ताक्षर करके, प्रस्तुत किया जाएगा ।
- (ख) जब खाते में किसी प्रविध्नि के भा में कोई बंधपत मूत के संदाय के लिए शोध्य हो जाता है तम प्रकल XIV में सम्पर् रूप से हराअरित रंसीय पारक हारा शिवा कार्याला का दो जाएगी।

25. सच उद्यांग बैंक की मीर से शक्तियों का प्रवी:--- रबु उद्यों। बैंक द्वारा विनियम 4(2), 5(2), 5(7), 6(6) और 8(1) के मधीन प्रयोगत्तव्य सवितयों का लगु उद्योग वैंक की मोर से प्रयोग लगु उद्योग वें ह के प्रवंश निरेत्र ह थीर उन्हों चंदुास्थित में कार्य-वालक निरेत्र ह यांत या महा प्रवेश हारा विशा का गीता ।

पनुमुबा

प्रहप [[विनियम 19(1)(क) देखें]

बचनपत के रूप में बंधपत्र के नवीकरण के लिए पृष्टांगन का प्ररूप

(स्थान)

(धारत को नाम)

संदेय नवीकृत वचनपव प्राप्त किया।

धारक के/---- के सम्प्रक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हमाधार।

(धारक का .नाम)

प्रक्य II [वितियम 19(1)(क) देखें]

व बनपन्न के रूप में विधयत के उपनिकातन के निर्मुटर्गा है। है।

इसके बदल में भारतीय लघु उद्योग विकःस वैक्षे महेव ब्यात महित- महेव

(म्थान)

(घटन के नार)

धारक के/---के सम्बद्धा में प्राधिका प्रतिनिधि के हस्ताला।

(धारक का नाम)

रहत III [वितियम 19	(i)(क) देखें]		, ,	4.1
यवतात के हा	में बंबाओं के समेकन के लिए पृथ्यंकत का प्रश	ল		
	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक		तत्र सहिं (डमके साथ समेकित	किए जाते के लिए प्राधित
प्रस्य व चनगर (गर्नो) व	(स्थान) ज के संक्यांक श्रीर रकम (रकमों)का उल्देख स	रो हात्रवा शिवंगा को विभित्ति	ल्ड करो हुए) चनाकिता ना	ात्र मंद्यांकके
नाथ समकत हारा				न्या वचनपत्र आस्त । स्ना ।
	y	32.0		18
धारकः वः/	(धारके का नाम)	त्य हुरूप से प्राधिकृत प्रातानीचा •	क हस्ताक्षर।	
प्रकृप IV [थिनियम 19	(2) देखें]	0.0	•	E 139.5
यह सद को जात	हो कि हमनो	শী	गृत मीर	, :
	(मुख्य बंधारत घारक का नाम)	(*)		
	(प्रतिमूसं. 1)	- 6		¥
			/#=== # a\	
मो 'श्री		पुत्र मोर	(प्रतिभू सं. 2) 	का
नियासी है, इसके द्वारा क संयुक्ततः भीर पृथकतः भ	प्रतने को भीर हम में से प्रत्येक हमारे भीर हम गरतीय लयु उद्योग विकास केंक मधिनियम, । कहा गरा है) उनके प्रदर्तियों, उत्तरवर्तियों	ारे वारिसों, निव्यादकों, प्र <mark>शासक</mark> 989 के घंधीन यथा स्थापित	ों भौर प्रतिनिधियों में से प्रत्ये भारतीय लघु उद्योग विकास है	क को (त्रिसे इसमें प्रागे
शीर मैं/हवतं से	यःवेक		उक्त लयु उद्योग बै	ांक के साथ प्रसंविदा करता
The state of the s	· (मुख्य बंधपत धारक) स्रीर (प्रतिसृ/प्रक्षिमुद्रों व	त∤के नाम)		
है/ करते हैं कि यदि इन बा	ाध्यता या इतके नोवे निश्चित शर्तके संबंध में	कोई बाद लखनऊ/मृंबई उच्न न्य	गियालय के प्रधीनस्य किसी स्थापी	जय में जाया जाता है
	वैंक को प्रेरणा पर ऐने बाद में चाहे कोई भी। विल मधिकारिता में लखन क/मूंबई में विवारण ह		गायाच्याम साह्यमाकाभन	दिया आएगा भार उसका/
	½ <u>\$</u>	ж		Coil
		न लघु उद्याग बक का इसका	मनुसूचा म उ।त्नावत उपन ल	उद्याग कि द्वारा निगान
	रण/पमेक्तन/उप-विभाजन के लिए आवेरन किया	ti		
	उद्योग वैंक उक्त	***	दे चीर पर्योद्य प्रतिस्त्रों महित	दबके नोचे लिखा एवं
117.311	(मृतप संघपत धारक)		2 ALC THE ALLYN ME	410 341 100-3
के पर्यान रही	हुए उन। बंधपत्र करने और निजादिन करने	पर उक्क आवेदन को स्वीकार	करने के किए सम्मत और ह	तहमन हो <mark>गयः है</mark> ः
ं भीर कार प्रान्य	G			के मन्रोध पर
((प्रतितृ/प्रतिमुंघों का/के नाम) के	जिल प्रतिक कोने कीर जन्म बंध	(मुख्य कथात धारक) सर्वक्रिसाटिन करने में नस्त⊸⊸	
(मुख्य	यंध्रात्र घारक)	in the second	. (मृ	त्प ्रवंश्चयक् बार क)
के पाथ मिमानित होते	के लिए सहमत हो गया है/हो गए हैं।			
त्रम्य तंत्रातः को	्रणतं यह है कि यदि जस्त पात्रज			या उनमें से प्रश्यक का
	णतं यह है कि यदि उक्त भावद्य (मुक्य बंधपत्र :	घारक)	(प्रतिभू/प्रतिभूधी का/के	नाम)
वनके बारिस, निष्वादण,	, प्रशासक या प्रतिनिधि या उनमें से कोई य	प्रत्येक, इनका अनुयूचियों में	उक्तिवित उत्तः लयु उद्योग	वैंक हारा निर्गमिन बंध एव
	भियो व्याज का हकदार होने का दाता करने स्परितयों के, चाहे कोई भी हों. दावों और मांगों			
	रा ऐने दाने या मांग के लिए था उसके परिणाल			
वानकाइत वंशाल (वंश	(।जी) परणोध्य किलो ब्याज के संताय के कारण	् उठाने पड़े, उरगत करने पड़े	यादः यो होता पड़े/उतन लगुः	उद्योग देश को समय-समय
	सना सनयों परप्रकारा की से बवाएँ है, उसका	प्रतिरक्षा करें। उने होति	राहत भीर अशिद्धरित ५ जेंगे तब	कार लिखित बंधात गृत्य
	पूर्णतभा प्रवृत्त भीर प्रभावसः ल रहेगा।			
	रंधाव भारक का नाग)			
		उनस्थिति में हस्ताक्षर जिल् मी	र परिदान किया।	
तारीव				er g a

26	THE GAZEITE OF INDIA : EX	FRAORDINARY	[PART III-SEC. 4
	इसमे निर्दिष्ट प्रानुती	The first territory and the fi	
यंबयत्र की प्रकृष्ट भो र वर्णन	मंदराज	निवंगत नहसेष	रकम
गस्प ✔ [विनिजन			
यंतरण का प्र ^{क्}	T .		
में हम	इगके द्वारा		का जोस्टाव
	(धारक का/धारकों के नाम) को रकम है, जैता इस लिखन के मुख पर मिनिर्देश्ड है,—————		
			(वर्ज)
वंतिविधित स्टान	में तरा/त्नारा हित या शेपर उन पर प्रांद्भूत स्थात सहित		, उन्हे/अर्क निष्यास
स्थासको या सन्तुः	(स्रजल कितियों को सनुनुदेशित भौर संतरित करता हैं/हरते हैं स्रोर में/हन	तां/मं तिरीतयां का नाम)	T
	उस मोमा तक निर्वाध रूप से स्वीकार करना हूं/करने है जिस सोमा	(MICE authornit & aca)	
*it/zu		ناخید یا ۵ هستاند	
	(धार्क का/बारका का नाम)		
िस्य में मुग्ने/हुने ∤त्त/संपरियन्ति वि	र्राटरपुंद्धः किए जाने पर उन्त स्टाक प्रमाणकात्र उस सीमा तक जिस वा करणः	मोम]तर वह गृड़ें/हमें ग्रीडिंग	ाकिया गराह <mark>ै मेरे/हमारे नाम में</mark> नया
7 it/ =11			
11/6/1-1-1	(धारक का/धारकों के नाम)	ता है/करने हैं कि उभन ग्रं:	रिता (अंतरितियों) को द्वारे छारा उ
उन्हें पं तरित रहा।	ें पारक (धार में) के एवं में रजिल्ही हुन किए जाने पर उस्त स्टा	क प्रभाणस्त्र उस सीमा तक	ितन मीला लक्ष व र्त उसे/जन्हें ग्रंगिक
भक्षे किया गना है	मे ^{ंग} ्रमारे साम में तबी इ स किया जाए।	29	
(सके साध्य व भ	4 II. *	की कार्रियनि ॥	,
	की उत्तर नाभित अंगरक ने हुस्ताक्षर किए।	(3)	i) (#III)
()	प्रारंग्य)		
iतरक			×
2			
अंतरितो)			
aga was	स्तं त**		TOTAL CO.
*श्रा वैस्त	। वस प्रवेश विषय स्था ने सर वस्ताना कोई कर विषय	गा उपस्थिति में हस्तादार वि	त्य ।
	ा तब प्रयोग पिन्ना जाना है जब प्रमागपत्रका कोई ग्रंग भंतरित । किया ग काक्ष्म, उपजीविका, पता	ीता है।	
	र । ७ (१)(ग) देखें]		a a
स्टाश प्रम	णपत्र के नवं(करण के लिए पुर्ठाकन का प्ररूप	Ta III	2 × J
इसके बद	त में		
गरतीय लघु उधीः	ते नेके नाम में	त स्टाक प्रमाणपत प्राप्त कि	ए काप्रशिष्ट स किन पर स्थाप आस्त्रीय लग्न ज्यो
बकास बकः,	दारा सदय हागा।		and the statement of the
	(स्थान)		
	y a	र्गात्रकीयम् । १९५०	ir miles a Color
	~	जनकारण बारत्यसम्बद्धाः स्य	से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	-		
		(रिगस्ट्राहन धा	रष्टकानाग)

.

क्लामान के हा	नयम 3 (3क) (ग) देखें]					0
44.147 4. 5.4	मं बंधपव को लघु उद्योग	वैक में खाते में प्र	बिष्टि में संपरिवर्धि	तंत करने के लिये क	मध्यपेका ।	
	# 134 E				तारीख	
सेवा में,					1	1 -
प्रबंधक,						*
बंधपत प्रनुभाग,	1					
	योग विकास बैंक,				o 1/1	
मुम्बई/लखनऊ					·	190
महोदय,						* 1
10 j r 3			سد سبت مد			A
विषय:		भारताय लघु उ	त्याग विकास बक	484d,	(1)
विफास वैक बंधपत हमारे नाम में प्रतिध्यि रूप से पृथ्ठोंकित सुसं	ते हैं कि बचनपत्त (बचनपत्नों जो इसके पीछे सूचीबद्ध किये ट के इप में उन्हें घारण क गत बंधपत्न किया गया है, इस्	िगये हैं हमारी सं इंटने के लिये हमें क करते हैं । उत	विति हैं भीर भनुः मनुज्ञात किया जाए व्यक्ति का/उन व्य	रोध करते हैं कि लब् र जिसके लिये हुम क	वु उद्योग वैक द्वारा ए इसके साथ लखु उद्योग	हे जाने पाले खाते हैंन के पन में सम्प
्रस्त संबंध में भोज रहे हैं।	हम सम्यक् रूप से स्टांपित	मीर मापको प्राप	ह्य के प्र नृसार नि	व्यादित किया गया	मापके पक्ष में आतिपू	त दिलेख इसके स
हुम भावसे ग विदरण ऊपर दिये गर	ह प्रनृरोब करते हैं कि लब् ये पते पर सम्यक् भनुकप	रु उद्योग दैंक में में भेज दिया करें।	खाते के का में	बंबाबों के धार ण व	का प्रमाणस्त्र प्रोर हुम्	ारी घृति का कालि
इपया इस पव	की पाबती दें।				3 ar	
					0 e	
					भवरी	T
	r 1 (*		**	0		(धारकों)/या उसके ग्राधिकृत मतिनिधि के
		*	र्स	बस्टोकत झारक का/धा	ारकों के नाम	
7 T	g.					
	or and a second	इसके साथ धेवे गर	रिक्टरी कामके प्र	s\ 254		
*.			4, 441M ((CA)	का सूचा	×	
ं. मीचे	कथि व धंकित े मूल्य (मूल्यॉ)	में भवनपव	4, 441M (((71)	का सूचा		
ı. ———	कथित संकित मूल्य (मूल्यॉ)	पत्र स्थित सं	वारीब-	······································		
i 2	किंपित प्रक्रित मूल्य (मूल् <u>यॉ)</u> 	पक्र स्कित सं स्का सं		······································		0 600
i	किया संकित मूल्य (मूल्यॉ)	पक्ष स्कित सं स्का सं	जारीब जारीब	······································		0 62 70 1
i	किया संकित मूल्य (मूल्यॉ)	पक्ष स्कित सं,—— स्का सं,————— स्किनसं.—————	जारीब जारोब जारोब	······································		
i	किया संकित मूल्य (मूल्यॉ)	पक्ष स्कित सं,—— स्का सं,————— स्किनसं.—————	जारीब जारोब जारोब	······································		
i	किया संकित मूल्य (मूल्यां)	पक्ष स्कित सं,—— स्का सं,————— स्किनसं.—————	जारीब जारोब जारोब	······································		
1. 2- 3. वंघपत्र स्त्रियों नमूना हस्ताक्षर	किया संकित मूल्य (मूल्यॉ)	पक्ष स्कित सं स्का सं स्कितसं	जारीब जारोब जारोब	······································		
1	किया संकित मूल्य (मूल्यॉ)	पक्ष स्कित सं स्का सं	जारीब जारोब जारोब	······································		
1. 2- 3. वंघपत्र स्त्रियों नमूना हस्ताक्षर	किया संकित मूल्य (मूल्यॉ)	पक्ष स्कित सं स्का सं	जारीब जारोब जारोब	······································		
1. 2- 3. वंघपत्र स्त्रियों नमूना हस्ताक्षर	किया संकित मूल्य (मूल्यॉ)	पक्ष स्कित सं स्का सं	जारीब जारोब जारोब	······································		
1. 2- 3. वंघपत्र स्त्रियों नमूना हस्ताक्षर	किया संकित मूल्य (मूल्यॉ)	पक्ष स्कित सं स्का सं	जारीब जारोब जारोब	······································		
1. 2- 3. वंघपत्र स्त्रियों नमूना हस्ताक्षर	किय संकित मूल्य (मूल्यॉ)	पक्ष स्कित सं स्का सं	जारीब जारोब जारोब	······································		

 घृति प्रतरणपत्र सं		
2 धृति प्रमाणि ह्न सं	तारीख	
अ घृ ति प्रमाणपत्र सं. ————		
बंधपन्नों ना गुल्ल्स्वीकत मृत्य —— करें।		चे कथित मंकित मूल्य में बंधपत स्थिप जारी करने की स्यवस्य
मंक्ति भूव	संदया	कुल संकित मूल्य
(1) प्रत्येक 1,000 रपए का		
(2) प्रत्येक 10,000 इपए का		दपए
10		- इपए
हमारा मनुरोध है कि बंधान्त्रों की सतिशेष प्रकप XIII [तिनियम ३ (अक) (छ)		गए खाते में प्रविद्धि के रूप में धारित रहने दी जाए।

लघु उद्योग बैंक में छोते में प्रविष्टि के इत्प में बंधपत्रों के धन्तरण का प्ररूप

भोद्भृत ब्याग गोहर ----को घौर उसके पक्ष में इसके द्वारा समन्देशित घीर ग्रंतरित करते हैं।

30	THE	GAZETTE OF INDIA	:EXTRAORDIN	ARY	[PART HI—SE
		। मंगरण गिर्बाध रूप से स्वीकार	गरते हैं।		1
₩ID		199 को सार्धा के	हा में हुम ह रताक्षर करते	÷ 1	
		(चिनेता) द्वारा			ofr.
		(फेला) डारा			
हिटाणाः (३१ -	२०१६ कि विकास सम्बद्धा	्राता । ते सिया जाए स्वानीय स्टाम्य ध	0.6	- या उपारवात म ह	ाक्षारव
61 (d) T 15	र १४०० सन्तर्वे आएगी।) i	म्बर्गवस इस्स् वयास्माधाः) भारताय स्टामा प ा	जानयम्, 1899 पेः ४८
я еч XIV [14]/	ाम डाम (ख) देखें]				
सध् उदान	वंक में जाते में प्रविष्टि वे	ह रूप में धारित बंधपत्नों के उन्ह	चिन के प्रकृप		
सेवामे					
प्र चेधन		w.			1
* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	119.			×.	
	प्रयोग विकास चैक,			· ·	,
मुम्धरं/ायः	S				,
भहादय,			ž.		1 8
3.00		a			*
1977	%)	गारतं।य लघु उद्योग विकास वै व	ं यंधपत्र (भं खंला)
		- (बंधपन्न धारक) के जमा खाते	¥ ×		
				. 30	भवदीय,
		× =	*	रिजस्द्रीकृत धारक (धारकों) या उसके सम् प्रतिनिधि के हस्ताक्ष
W 20 K		v • *		a anapa	भावानाथ क हस्ताक्ष
		-	,	र्राजस्ट्रोकृत धारक	का/धारको के
		• 18		नाम	The state of the state of
				4	
19 19°				तारीख	
				स्यान	
प्र€प XV (धिनिदा	(18 છે)			II a	
	त्तामनिर्देशन के प्रतिस्थापन		723	7	
ाः में/इस			लिखित म्यक्ति (व्यक्तियों)	को ऐसे छ। जिल्ला (कः	familia be en il -
	(-1, -1, 11) -1 (-1, 1	1 '11'1 <i>)</i>			
नदक्षित करता है/करत	है जिस/जिन्हें मेरी/हमारी	प्रवयस्क धारक की मृत्यु की दश	ा में नीचे विनिद्धिट बंधपल	ों पर शोध्य रकम क	। संदाय किया जाए:
		बंधपत्न		3	400 /You 4000
रम सं.	क् णंन	गुभिन्न संदर्भक		म् मर्निःत	
1.					-
2.		•			8
3.		9			
			~		

मधि बंधपत ित्यो त्वतस्य के माम में धारित है तो भागनिवंशन का रहकारण अवस्था की कीर से बिधिपूर्ण क्या में हताबार व्यक्ति हाता हत्तावारित भिया

पाद टिएएण ः -- प्रभाणित विकास है कि भारतीय ग्रंखोजिक विकास वैक ने 21 जून, 1990 के भपने पत द्वारा भारतीय का उद्योग विकास बैंक (वंधपन्नी का निर्देशन भार प्रकास) विनिधम, 1990 को धनुसोदन प्रदान किया है।

म बंधक (विधि)

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA (ISSUE AND MANAGEMENT OF BONDS) REGULATIONS, 1990

No. 3144 CAD.Bonds General Regulations.—In exercise of the powers conferred by Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Board of Directors of the Small Industries Development Bank of India, with the previous approval of the Industrial Development Bank of India, is pleased to make the following Regulations, namely:—

- 1. Short title and applications.—(1) These Regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1990.
- (2) They shall apply to Bonds issued and sold by the Small Industries Bank under clause (a) of subsection (1) of Section 15 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989.
- 2. Definitions —In these Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context.
 - (a) "the Act" means the Small Industries Development Bank of India Act, 1989;
 - (b) "Bonds" means the Bonds issued and sold by the Small Industries Bank under clause (a) of sub-section (1) of Section 15 of the Act.
 - (c) "Small Industries Bank" means the Small Industries Development Bank of India established under the Act;
 - (d) "Defaced Bond" meens a Bond which has been made illegible and rendered undecipherable in material parts and the material parts of a Bond are those where:—
 - (i) the number, the issue to which it appertains and the face value of the Bond, or payment of interest are recorded; or
 - (ii) the endorsement or the name of the payer is written; or
 - (iii) the renewal receipt or the memorandum of transfer is supplied;
 - (e) "Form" means a form as set out in the Schedule to these Regulations;
 - (f) "Lost Bond" means a Bond which has actually been lost and shall not mean a Bond which is in possession of some person adversely to the claimant:
 - (g) "Mufilated Bond" means a Bond which has been destroyed, forn or damaged in material parts thereof:
 - (h) "Office of Issue" means the office of the Small Industries Bank on the books of which a Bond is registered or may be registered;
 - (i) "Privarily of Officer" means the General Mananet or such officers of the Small Industries Bank as may be authorised by the Board of Directors of the Small Industries Bank

- for the purposes of Regulations 11, 12, 13, 15, 17, 19 and 20;
- (j) "Stock Certificate" means a Stock Certificate issued under Regulation 3.
- 3. Form of the Bond and the mode of transfer thereof, etc.—(1) A Bond may be issued in the form of:—
 - (a) A promissory note payable to, or to the order of, a certain person; or
 - (b) Stock registered in the books of the Small Industries Bank for which Stock Certificates are issued.
- (2) (a) A Bond issued in the form of a promissary note shall be transferable by endorsement and delivery like a promissory note payable to order.
- (b) No writing on a Bond issued in the form of a promissory note shall be valid for the purpose of negotiation if such writing purports to transfer only a part of the amount denominated by the Bond.
- (3) A Bond issued in the form of a Stock Certificate and registered in the books of the Small Industries Bank shall be transferable either wholly or in part by execution of an instrument of transfer in Form V. The transferor in such a case shall be deemed to be the holder of the Bonds issued in the form of Stock to which the transfer relates until the name of the transferee is registered by the Small Industries Bank.
- (3A) (a) Notwithstanding anything to the contrary herein contained, the Small Industries Bank may at the request of the person entitled to the Bonds, issue Bonds in the form of an entry in an account to be maintained by the Small Industries Bank in the name of the person entitled to the Bonds.
- (b) The Bonds may be so issued in the form of an entry in the books of accounts of the Small Industries Bank either initially at the time of subscription to the Bonds or subscauently by conversion of the Bonds issued either in the form of a promissory note or Stock.
- (c) If a Bond has already been issued in the form of a promissory note, the Bond holder desirous of holding it in the form of an entry in an account with the Small Industries Bank shall make requisition in Form XI and surrender the Bond duly endorsed in favour of the Small Industries Bank for the Bond being held in the form of an entry in an account in the books of the Small Industries Bank.
- (d) If the Bond has been issued in the form of Stock Certificate, the holder shall transfer the Bond in favour of the Small Industries Bank with a request that the Bond may be held in the form of an entry in an account to be maintained by the Small Industries Bank in the name of the holder.
- entry in an necount maintained by the Small Industries Bank may have the Bonds transferred or converted in the form of a promissory note or a Stock Certificate by making an application in Form XII.

- (f) No fee is chargeable for issuing Bonds in the form of an entry in the account of the books of the Small Industries Bank or converting Bonds already issued either in the form of a promissory note or Stock in the form of an entry in the books of the Small Industries Bank or vice versa.
- (g) Bonds issued or held in the form of an entry in the books of the Small Industries Bank shall be transferable by execution of an instrument of transfer in form XIII. The transferor in such cases shall be deemed to be the holder df the Bonds to which the transfer relates till such time the name of the transferee is entered in the books of the Small Industries Bank.
- (4) (a) A Bond shall be issued over the signature of the Managing Director or in his absence by an Executive Director and or a General Manager of the Small Industries Bank which may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical precess as the Small Industries Bank may direct.
- (b) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as if it had been inscribed in the proper handwriting of the signatory himself.
- (5) No endorsement of a Bond in the form of a promissory note or no instrument of transfer in the case of a Bond in the form of a Stock Certificate shall be valid unless made by the signature of the holder or his duly constituted attorney or representative inscribed in the case of a Bond in the form of a promissory note on the back of the Bond itself and in the case of a Stock Certificate on the instrument of transfer.
- 4. Trust not recognised.—(1) The Small Industries Bank shall not be bound or compelled to recognise in any way, even when having notice thereof, any trust or any right in respect of a Bond other than an absolute right thereto in the holder.
- (2) Without prejudice to the provisions of subregulation (1), the Small Industries Bank may, as an act of grace and without liability to the Small Industries Bank, record in its books such directions by the holder of a Bond issued in the form of Stock for the payment of interest on, or of the maturity value of, or the transfer of or such matters relating to the Stock as the Small Industries Bank thinks fit.
- 5. Provision for holding Bonds issued in the form of the Stock Certificate by trustees and office holders.—(1) A Bond in the form of Stock Certificate may be held by a holder of an office—
 - (a) in his personal name, described in the books of the Small Industries Bank and in the Stock Certificate as a trustee whether as a trustee of the trust specified in his application or as a trustee without any such qualification; or
 - (b) by the name of his office,
- (2) On an application made in writing to the Small Industries Bank in the form required by the Small Industries Bank the person in whose name a 2848 GI/90-5

- Bond stands and on surrender of the Bond, the Small Industries Bonk may—
 - (a) make an entry in its books describing him as a trustee of a specified trust or as a trustee without specification of any trust and issue a Stock Certificate in his name described as trustee with or without the specification of the trust as the case may be; or
 - (b) issue a Stock Certificate to him by the name of his office and make an entry in its books describing him as the holder of the Stock by the name of his office, according to the applicant's request provided—
 - (i) the request is in conformity with the provisions of sub-regulation (1) hereof;
 - (ii) the necessary evidence required by the Small Industries Bank in terms of subregulation (7) has been furnished; and
 - (iii) the Bond, if it is in the form of promissory note, has been endorsed in favour of the Small Industries Bank and if in the form of Stock Certificate, has been receipted by the registered holder in Form X.
- (3) The Stock Certificate under sub-regulation (1) may be held by the holder of the office either alone or jointly with another person or persons or with a person or persons holding an office.
- (4) When the Stock is held by a person in the name of his office, any documents relating to the Stock Certificate concerned may be executed by the person for the time being holding the office by the name in which the Stock Certificate is held as if his personal name were so stated.
- (5) Where any transfer deed, power of attorney or other document purporting to be executed by a Stock Certificate holder described in the books of the Small Industries Bank as a trustee or as a holder of an office is produced to the Small Industries Bank, the Small Industrice Bank not be concerned to inquire whether the Stock-holder is entitled under the terms of any trust or document or rules to give any such power or to execute such deed or other document and may act on the transfer deed, power of attorney or document in the same manner as though the executant is a Stock Certificate holder and whether the Stock Certificate holder is or is not described in the transfer deed, power of attorney or document as a trusteor as a holder of an office and whether he does or does not purport to execute the transfer deed, power of attorney or document in his capacity as a trustee or as a holder of the office.
- (6) Nothing in these Regulations shall, as between any trustees or office holder and the beneficiaries, under a trust or any document or rules, be deemed to authorise the trustees or office holders to act otherwise than in accordance with the rules of law applying to trust the terms of the instrument constituting the trust, or the rules governing the association of which the Stock Certificate holder is a holder of an office and neither the Small Industries

Bank not any person holding or acquiring any interest in any Stock Certificate shall by reason only of any entry in any register maintained by the Small Industries Bank in relation to any Stock Certificate or any Stock Certificate holder or of anything in any document relation to Stock Certificate be affected with notice of any trust or of the fiduciary character of any Stock Certificate holder or of any fiduciary obligation attaching to the holding of any Stock Certificate.

- (7) Before acting on any application made, or on any document purporting to be executed, in pursuance of this Regulation by a person as being the holder of any office. the Small Industries Bank may require the production of evidence that such person is the holder for the time being of that office.
- 6. Provision for holding of bonds issued in the form if promissory notes by trust[trustee(s):—(1) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1) of Regulation 4, the Small Industries Bank may, at the request of the applicant and without liability to the Small Industries Bank, issue a Bond in the form of promissory note in the name of a specified trust or trustee(s) of that trust, or as the case may be in the personal name of the applicant, describing him as a trustee, whether as a trustee of the trust specified in his application or as a trustee without such specifications.
- (2) Where a Bond in the form of promissory note sands in the personal name of the holder, the Small Industries Bank may, on an application made by him in the form required by the Small Industries Bank and on surrender of such Bond, issue a renewed Bond in the form of a promissory note in the manner laid down in sub-regulation (1) hereof provided that—
 - (i) the necessary evidence required by the Small Industries Bank in terms of sub-regulation (6) hereof has been furnished; and
 - (ii) the Bond has been endorsed in favour of the Small Industries Bank.
- (3) The Pynd under sub-regulation (1) may be held by a trustee of any trust either alone or jointly with another person or persons as trustees of that trust.
- (4) Where a Bond in the form of promissory note purports to have been endorsed by the Bond holder as a trustee, or where any power of attorney or other document purporting to be executed by the Bond holder is produced to the Small Industries Bank, the Small Industries Bank shall not be concerned to enquire whether the Bond holder is entitled under the terms of any trust or document or rules to make such endorsement or execute such power of attorney or other document, and may act on the endorsement, power of attorney or document in the same manner as though such endorser is a Bond holder and whether the Bond holder is or is not described in the endorsement, power of attorney or document as a trustee, and whether he does or does not purport to make endorsement or execute the power of attorney or document in his scapacity as a trustee.

- (5) Nothing in these regulation, about, as between any trustees and the Leachelatie, under a trust or any document or rules, he deemed to authorise the trustees to act otherwise than in precidence with the rules of law applying to trust or the terms of the instrument constituting the trust.
- (6) Beftre acting on any application made, in pursuance of this regulation by a person as being the trust e of any trust, the Small Industries Bank may require the production of evidence that such person is the trustee for the time being of that trust.
- 7. Persons disqualified to be holders:—No minor and no person who has been found by a competent court to be of unsound mind shall be entitled to be a holder of Bonds.
- 8. Payment of Interest:—(1) Interest on a Bond in the form of a promissory note shall be paid by the Office of Issue or any other office of the Small Industries Bank specified in the Bond Prospectus subject to compliance by the holder of the Bond with such formalities as the Small Industries Bank may require, and on presentation of the Bond.
- (2) Interest on a Bond in the form of Stock Certificate shall be paid by issue of warrants crossed account payee or in such other manner as may be decided by the Small Industries Bank. The presentation of the Stock Certificate shall not be required at the time of payment of interest but the payee shall acknowledge the receipt at the back of the warrant.
- (3) Interest on a Bond held in the form of an entry in the books of the Small Industries Bank shall be paid by the Small Industries Bank by issue of warrants crossed account payee or in such other manner as may be decided by the Small Industries. Bank
- 9. Procedure where Bond in the form of a promissory note is lost, etc.:—(1) Every application for the issue of a duplicate Bond in place of a Bond which is alleged to have been Lost. Stolen. Destroyed, or Mutilated or Defaced, either wholly or in part shall be addressed to the Office of Issue, and shall contain the following particulars, namely:—

 - (b) Last half-year for which interest has been paid;
 - (c) The person to whom such interest was paid;
 - (d) The person in whose name Bond was issued (if kntwn);
 - (e) The circumstances attending the Loss, Theft, Destruction, Mutilation or Defacement; and
 - (f) Whether the Loss or Theft was reported to the police.

- (2) Such application shall be accompanied by:-
 - (a) where the Bond was lost in the course of transmission by registered post, the Post Oilice registration receipt for the letter containing the Bond;
 - (b) a copy of the police report, if the Loss or theft was reported to the police;
 - (c) if the applicant is not he registered holder, an altidavit sworn before a magistrate testifying that the applicant was the last legal holder of the Bond, and all documentary evidence necessary to trace back the title to the registered holder; and
 - (d) any portion or fragments which may remain of the Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced bond.

10. Notification in Gazette:—The Loss, Theft, Destruction, Mutilation or Defacement of a Bond or portion of a Bond in the form of a promissory note shall forthwith be notified by the applicant in three successive issues of the Gazette of India and of the local official Gazette, if any, of the place where the Loss, Theft, Destruction, Mutilation or Defacement occurred. Such notification shall be in the following form or as nearly in such form as circumstances permit:—

Name of the person notifying—

*Delete whichever is not applicable

11. Issue of duplicate Bond and taking of indemnity:—(1) After the publication of the last notification prescribed in Regulation 10, the Prescribed Officer shall if he is satisfied of the Loss, Theft Destruction, Mutilation or Defacement of the Bond and of the justice of the claim of the applicant, cause the particulars of the Bond to be included in a list published under Regulation 13, and thall order the Office of Issue—

(a) if only a portion of the Bond has been Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced, and if a portion thereof sufficient for its identification has been produced, to pay interest and to issue to the applicant, on execution of an Indemnity' such as is hereinafter mentioned a duplicate Bond in place of that of which a portion has been so Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or.

Defaced either immediately after the publication of the list under Regulation 13 or on the expiry of such period as the Prescribed Officer may consider necessary from the date of the publication of the said list;

- (b). if o portion of the Bond so Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced, sufficient for its identification has been produced
 - (1) to pay to the applicant, two years after the publication of the said fist, and on the execution of an indemnity in the manner heremafter presented, the interest in respect of the Bond so Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Octaced till the expiry of the next period of four years next as hereinafter provided; and
 - (ii) to issue to the applicant a duplicate Bond in place of the Bond so Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated for Defaced four years after the date of publication of the said list, provided that :--
 - (i) if the date on which the Bond is due for repayment falls earlier than the date. on which the said period of four years expires, the Prescribed Officer shall, within six weeks of the former date, invest the principal amount due on the Bond in the Post Office Savings bank, and shall repay this amount, together with any interest which may have accrued thereon in such Bank, to the applicant at the time when a duplicate Bond would otherwise have been issued, and
 - (11) if at any time before the issue of the duplicate Bond the original Bond is discovered or it appears to the Officer of Issue for other reasons that the order should be rescinted, the matter shall be referred to the Prescribed Officer for further consideration and in the meantime all action on the order shall be suspended. An order passed under this sub-regulation shall, on expiry of the period of four years referred to therein, become final unless it is in the meantime rescined or otherwise modified.
- (2) The Prescribed Officer may, at any time prior to the issue of a duplicate Bond, if he finds sufficient reason, alter or cancel any order made by him under this regulation and may also direct that the interval before the issue of a duplicate Bond shall be extended by such period not exceeding four years as he may think fit.

(3) Indemnities —

(a) (i) when executed under sub-regulation (1)(a) shall before twice the amount of interest involved, that is to say, twice the amount of all back interest accrued due on the Bond plus twice the amount of all interest to accrue due thereon during the period which will have to clapse before

- the issue of a duplicate Bond can be made, and
- (ii) in all other cases shall be for twice the face value of the Bond plus twice the amount of interest calculated in accordance with clause (i).
- (b) the Prescribed Officer may direct that such indemnity shall be executed by the applicant alone or by the applicant and one or two sureties approved by him as he may think fit.
- 12. Procedure when a Bond in form of a Stock Certificate is lost, etc.:—(1) Every application for the issue of a duplicate Stock Certificate in place of a Stock Certificate which is alleged to have been Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced either wholly or in part shall be addressed to the Office of Issue and shall be accompanied by
 - (a) the Post Office registration receipt of the letter containing the Stock Certificate, if the same was lost in transmission by registered post;
 - (b) a copy of the police report, if the Loss or Theft was reported to the police;
 - (c) allidavit sworn before a Magistrate testifying that the applicant is the legal holder of the Stock Certificate and that the Stock Certificate is neither in his possession nor has it been transferred pledged or otherwise dealt with by him; and
 - (d) any portions or fragments which may remain of the Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced Stock Certificate.
- (2) The circumstances attending the loss shall be stated in the application.
- (3) The Prescribed Officer shall, if he is statisfied of the Loss, Their, Destruction, Multilation or Defacement of the Stock Certificate, direct the issue of a duplicate Stock Certificate in lieu of the original Certificate.
- 13. Publication of list: (1) The list referred to in Regulation 11 shall be published half-yearly in the Gazette of India in the months of January and July or as soon afterwards as may be convenient.
- (2) All Bonds in respect of which an order has been passed under Regulation 11 shall be included in the first list published next after the passing of such order and thereafter such Bonds shall continue to be included in every succeeding list until the explication of four years from the date of first publication.
- (3) The list shall contain the following particulars regarding each Bond included therein, namely, the name of the issue, the number of the Bond, its value, the name of the person to whom it was issued, the

- date from which it bear interest, the name of the applicant for a duplicate, the number and date of the order passed by the Prescribed Officer for payment of interest or is ue of a duplicate, and the date of publication of the list in which the Bond was first included.
- 14. Discretion of the Small Industries Bank:—Notwithstanding anything contained in Regulations 10, 11, 12 and 13, where the Small Industries Bank deems fit, in any case, it shall be lawful for the Small Industries Bank in its absolute discretion to dispense with the procedure prescribed therein regarding the issue of duplicate. Bond and issue duplicate Bond upon such terms as to indemnity or otherwise, as it may deem fit.
- 15. Extermination of a mutilated Bond as a Bond requiring issue of duplicate:—It shall be at the option of the Prescribed Officer to treat a Bond which has been Mutilated or Defaced as a Bond requiring issue of a duplicate under Regulation 11 or a mere renewal under Regulation 19:
- 16. When a Bond in the form of promissory note may be required to be renewed:—(1) A holder of a Bond in the form of a promissory note may be required by the Office of Issue to receipt the same for renewal in any of the following cases, namely—
 - (a) if only sufficient room remains on the back of the Bond for one further endorsement or if any word is written upon the Bond across the existing endorsement or endorsements;
 - (b) if the Bond is torn or in any way damaged or crowded with writing or unfit, in the opinion of the Office of Issue:
 - (c) if any endorsement is not clear and distinct or does not indicate the payee or payees, as the case may be, by name or is made otherwise than in one of the endorsement cages on the back of the Bond;
 - (d) if the interest on the Bond has remained undrawn for ten years or more;
 - (e) if the interest cages on the reverse of the Bond have been completely filled or if the vacant printed cages on the reverse of the Bond do not correspond with the half-years for which interest has become due on the date when the Bond is presented for drawal of interest;
 - (f) if the Bond having been enfaced three times for payment of interest is presented for re-enfacement; and
 - (g) if in the opinion of the Office of Issue, the title of the person presenting the Bond for payment of interest is irregular or not fully provided
- (2) When requisition for renewal of a Bond has been made under sub-regulation (1) payment of any further interest thereon shall be refused until it is excepted for renewal and actually renewed.

- 17. Person whose title to a Bond of a deceased sole holder may be recognised:—(1) The executors or administrators of a deceased sole holder of a bond (whether a Hindu, Mohammedan, Parsi or otherwise) or the holder of a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) in respect of the Bond shall be the only persons who may be recognised by the Office of Issue (subject to any general or special instructions of the Prescribed Officer) as having any title to the Bond.
- (2) Notwithstanding anything contained in Section 45 of Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), in the case of a Bond issued, sold or held payable to two or more holders, the survivor or survivors and on the death of the last survivor, his executors, administrators, or any person who is the holder of a succession certificate in respect of such Bond shall be the only person who may be recognised by the Office of Issue (subject to any general or special instructions of the Prescribed Officer) as having any title to the Bond.
- (3) The Office of Issue shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration, as the case may be, from a competent court or office in India.
- (4) Notwithstanding anything contained in subregulations (1), (2) and (3), where the Prescribed Officer in his absolute discretion thinks fit, in any case, it shall be lawful for him to dispense with the production of probate or letters of administration or other legal representation upon such terms as to indemnity or otherwise, as he may think fit.
- 18. Nomination:—(1) Notwithstanding anything contained in Regulation 17, where a Bond is held by one or more persons, the sole holder or, as the case may be, all the holders together may nominate any person or persons to whom, in the event of the death of the sole holder or the death of all the holders, the amount due on the Bond may be paid.

Provided that when a Bond is held by two or more persons, the nominee shall become entitled to receive the amount only on the death of all the holders.

Provided further that nothing contained in this Regulation shall affect any claim which any representative of a deceased holder of a Bond may have against the nominee in respect of any amount due on the Bond.

(2) If two or more persons are nominated under sub-regulation (1), the amount due on the Bond shall be distributed amongst the nominees in the manner specified in the nomination, and in the absence of such specification, the amount shall be distributed equally among all the nominees.

Provided, however, that if no nomination subsists or, if such nomination relates only to a part of the amount due the whole amount or part thereof to which the nomination does not relate, shall be paid to the persons who may be entitled thereto under sub-regulation (2) of Regulation 17.

- (3) A nomination under sub-regulation (1) may be made by the sole holder or, as the case may be, all the holders together in Form XV.
- (4) A nomination may be made only in respect of a Bond which is held in the individual capacity of the holder and not in any representative capacity as the holder of an office or otherwise.
- (5) Where the nominee is a minor, the sole holder or as the case may be, all the holdyers together may appoint any person (not being a minor) to receive the amount due on the Bond during the minority of the nominee.
- (6) Where a Bond is held in the name of a minor, the nomination, if any, shall be made by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.
- (7) A nomination may be substituted by submitting an application in Form XV or cancelled by submitting an application in Form XVI, together with the Bond, to the Small Industries Development Bank of India.
- (8) A nomination or a substitution or a cancellation of a nomination shall be registered in the books of the Small Industries Bank and the fact of registration shall be noted on the Bond and, on such registration the said nomination, cancellation or substitution, as the case may be, shall be deemed to be effective from the date on which it was submitted.
- (9) (The rights, which a nominee has acquired in relation to the Bond under a nomination duly made and registered under this Regulation, shall not be affected by reason of the issue of a duplicate Bond and the nominee shall have the same rights in relation to the duplicate Bond as he had in relation to the original Bond.
- 19. Receipt for renewal; etc:—(1) Subject to any general or special instructions of the Prescribed Officer, the Office of Issue may, by its order, on the application of the holder—
 - (a) on his delivering the Bond or Bonds in the farm of promissary note or notes and on his satisfying the Office of Issue regarding the justice of his claim, renew, sub-divide or consolidate the note or notes provided the note or notes has or have been receipted in Form I, II or III, as the case may be; or
 - (b) convert the note or notes into a Stock certificate or Stock Certificates provided the note or notes has or have been endorsed as follows
 - "Pay to the Small Industries Development Bank of India"; or
 - (c) renew, sub-divide or consolidate a Stock Certificate or Stock Certificates provided the Stock Certificate or Stock Certificates has or have been receipted in Form VI, VII or VIII, as the case may be; or
 - (d) convert the Stock Certificate or Stock Certificates into promissory note or notes

SOME BOX 1818

Table and the same of the same

provided the Stock certificate or Stock Certificates has or have been receiped in Form IX, or

- (e) convert the Bonds of one series into those of another provided--
 - inter series conversion is permissible;
 - (ii) the conditions governing such conversion are complied with.
- (2) The Office of Issue may, under the orders of Prescribed Officer, require the applicant for renewal, sub-division or consolidation of a Bond under the sub-regulation (1) to executive an indemnity in Form IV with one or more sureties approved by him.
- 20. Renewal of Bond in case of dispute as to title:—Whore there is a dispute as to the title to a Bond in respect of which an application for renewal has been made, the Prescribed-Officer may:—
 - (a) where any party to the dispute has obtained a final decision from a court of compotent jurisdiction declaring him to be entitled to such Bond, issue a renewed Bond in favour of such party or
 - (b) refuse to renew the Bond until such decision has been obtained.

EXPLANATION:

For the purposes of this Regulation, the expression "final decision" means a decision which is not appealable or a decision which is appealable but against which no appeal has been filed within the period of limitation allowed by law.

21. Liability in respect of Bond renewed, etc:—When a duplicate Bond has been issued under Regulation 11 or a renewed Bond has been issued or a new Bond has been issued upon sub-division or consolidation under Regulation 19, in favour of a person, the Bond so issued shall be deemed to constitute a new contract between the Small Industries Bank and such person and all persons deriving title thereafter through him.

22. Discharge

The Small Industries Bank shall be discharged from all liability in respect of the Bond or Bonds

(Jone of holder)

paid on maturity or in pace of which a duplicate, renewed, sub-divided or consolidated Bond or Bonds has or have been issued—

- (a) in the case of payment, after the lapse of four years from the date on which payment was due;
- (b) in the case of a duplicate Bond after the lapse of four years from the date of the publication under Regulation 13 of the list in which the Bond is first mentioned, or from the date of the payment of interest on the original Bond, referred to in Regulation 11 whichever date is later;
- (c) in the case of a renewed Bond or of a new Bond issued upon sub-division or consolidation after the lapte of four years from the date of issue thereof.
- 23. Discharge in respect of interest:—Save as otherwise expressly provided in the terms of the Bond, no person shall be entitled to claim interest on any such Bond in respect or any period which has clapsed after the earliest date on which demand could have been made for the payment of the amount due on such Bond.
- 24. Discharge of a Bond:—(a) When a Bond held in the form of promissory note or Stock Certificate becomes due for payment or principal, it shall be presented at the office of the Small Industries Bank at which interest thereon is payable or at the Office of issue duly signed by the holder to its reverse;
 - (b) When a Bond in the form of an entry in the account becomes due for payment of principal, a duly signed receipt in Form XIV shall be furnished by the holder to the Office of Issue.
- 25. Exercise of Powers on behalf of the Small Industries Bank:— The powers exercisable by the Small Industries Bank under Regulations 4(2), 5(2), 5(7), 6(6) and 8(1) may be exercised on behalf of the Small Industries Bank by the Managing Dierctor and in his absence by an Executive Director and or a General Manager of the Small Industries Bank.

THE SCHEDULE FORM I [See Regulation 19 (1) (a)] Form of endorsement for renewal of a Bond in the form of a Promissory Note (name of holder) the small Industries Development Bank of India, (place) Signature of the holder duly authorised representative of (name of holder) FORM II [See Regulation 19(1)(a)] Form of endorsement for sub-division of a Bond in the form of a Promissory Note Received in lieu hercof Notes for Rs. payable to. (name of holder) Notes for Rs. the Small Industries Development Bank of India, E was a so and stand by a so a suit expert private between the foreign Signature or the holder duly authorised representative of ... (place)

against all danages, losses, costs, charges and expenses which the said Small Industries Bank may sustain, incur or be liable to for or in consequence of any such claim or demand or by reason of the issue of renewed Bond(s) as aforesaid or the payment of any interest due on the said Bond(s) or renewed Bond(s) then the above written bond shall be void but otherwise the same shall carrier a full lorge and effect.

Signed and I havered by (name of Principal)

Signature of the registered holder/ duly authorised representative (name of registered holder)

[भाग 111	4 □ 4]	भारतं का राजपत्रः संसाधारण	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4
FORM V	III [See Regulation 19(1)(c)]		. 1779 - a - FRANK (1788)	
For	m of endorsement for consolidation of S	Itaale Corifi and		
			32 108	
respective	eived in lieu of Stock Certificate Nos. y of thep	er cent Small Industries Develop	for Rs	
Small Indi	ertificate for Rs. 1stries Development Bank of India Bond	or	the	per cen
		(Vesti vi	with interest	payable by the
Small Indi	astries Development Bank of India			
		(place)	Signature of the regi	istared bold-
			duly authorised repres	sentative
	[See Regulation 19(1)(d)]		(name of regis	tered halder)
For	m of endorsement for conversion of Sto	ck Certificates into Promissory N	lutes	
Notes of	eived in tieu of this Stock Certificate.		·····	Promissory
Certificate	for the balance amounting to Re		ech together with	h a new Stock
payable by	y the Small Industries Devolopment Bank	of India,	·····	with interest
	*		(place)	
9.12			Signature of the regis duly authorised repres	sterod holder/
5 11				
FORM X	S > Ryulation 5(2)(b)(iii)]		(name of register	red holder)
	of receipt for renewal of a Bond issued	l in the form of Stock Cartification		
Recei	ved in lieu harant a renound stook	C.uliCanta un il		
Industries D	evelopment Brak of India Bonds,	for Rs.		. per cent Small
in favour o	f	(year)		***************************************
Developmen	f nt Bank of India,	with int	forest payable by the S	mall Industries
M M		(place)		0 14
The second				
	[See Regulation 3(3A)(c)]		(Signature of registered	Children Control Control
Bank Requ	isition for converstion of Bond in the fo	orm of Promissory Note into an er	otry in the account with the	7
Dank				small Industries
T9 :		Date	19	
Manager, Bonds Section	on.			
Smill Indust	ries Development Bank of India			
Bombay/Luc	know.			
Doar Sir,				
100 1	Re :	stries Development Bank of India	1 Ronda	
of the aggregate	reby declare that the Small Industries I	Development Bank of India Bond	s issued in the form of Pro-	Series)
O3 AHOW XI I	O hold the same in the for		at property and request that	THE
A TAME LEED A TOT WIT	ICO DUPONE W. Are and		cu by the small industria	. P !
are as per de	inmo, disignation and specimen signature etails given on the reverse.	re(s) of the purson(s), Who has/hi	ave been authorised to opera	nall Industries
In this	connection. We are enclosing hereto de	of at to the state of		to the account
behalf as per		ed of indemnity in your favour,	duly stamped and exect	uted on our
Wes rec	Just von to kindly and to in I	W257	aduto a	
tondarties B1	nk and periodic statement of our holding	at the address given above.	ads in form of an account w	ith the Small
In the	manwhile please acknowledge receipt.			7 2
	- E		E	
	* .		Yours taithfull	٧.
**		←	Signature(s) of the reviete	red hald
.,(111			this duty authorised ret	Office nts tive
2848 GI/91—6			Name(s) of registered holder	(6)

2848 GI/91-6

42	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
	The state of the s
	LIST OF BOND SCRIPS ENCLOSED HURETO
Promiss	ory Note(s) in denomination(s) as stated below:

	•••••	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Series).	for Rs
Bond Rs.	Seriq	N)	······································	da	led	
Rs.	2:03) N)			aated	-1700-1700-0100-0100-0100-0100-0100-010
Agg	द्राच्युता इत्युत्ता	of the value of the	B and Serips Rs			ried.
			Contraction of the contraction		ingly/Jointly/Either or Surv	ivor
ame.	1.				esignation	
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	D	esignation	
ddress						
	•••••		*********************************	* * * * = 1 - 1 - 1		
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	34	
ophone					l.v	
clased	(i) I	Boal Spring Con acco	rtanta orta as n	Te	icx :	
	(ii)	Deed of Indemnity.	sogate value of Ks			
RM Y	DO 12517	Regulation 3(3A)				
				(Q (Q 10075550N	W	
nk nk	a131(19	a for issue of Boad	scrip; in lieu of the B	ands held in t	he form of entry in the acc	ount with the Small Indust
:	*					
nager,						
ids Sect						
II Indu	strios	Development Bank	of India.		26	
ibay/Li	uckna	w.	100			
r Sir,						
	Re :		l I Mustries Developna	NOTE	r. 1:- 'o	
wa ect of t India,	ars to the B	onds held by us in	the certificate of he the form of an entry	olding issued in the accou	nt maintained by the Sma	Development Bank of India Il Industries Development Ba
We india. We india. We india. We india. We india.	are for the B	orwarding herewith onds held by us in that our Bond he the reverse, at that Bond Sorips esh certificate of he in the account ma	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may ple olding in respect of the sintained by the Small	olding issued in the accou converted an	by the Small Industries on maintained by the Small transferred in the form of	Development Bank of India Il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given about
We india. We india. We india. We india. We india.	are for the B	orwarding herewith onds held by us in that our Bond he the reverse, at that Bond Scrips seh certificate of he	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may ple olding in respect of the sintained by the Small	olding issued in the accou converted an	by the Small Industries on maintained by the Small transferred in the form of transferred to us by registered potential to us by registered potential to the small transferred potential transferred potent	Development Bank of India Il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given about
we we find a fin	are for the B	orwarding herewith onds held by us in that our Bond he the reverse, at that Bond Sorips esh certificate of he in the account ma	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may ple olding in respect of the sintained by the Small	olding issued in the accou converted an	by the Small Industries on maintained by the Small transferred in the form of transferred in the form of transferred product of the Bonds that a revelopment Bank of India.	Development Bank of India Il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given about
ect of india, We india, ills give We regwith to	are for the B	orwarding herewith onds held by us in that our Bond he the reverse, at that Bond Sorips esh certificate of he in the account ma	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may ple olding in respect of the sintained by the Small	olding issued in the account the account the account converted an ease be forward balance an Industries D	by the Small Industries int maintained by the Small transferred in the form of transferred in the form of transferred period to us by registered period to the Bonds that a evelopment Bank of India, Yours faithfully,	Development Bank of India Il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given about
we ect of the findia, We the fills give work the the fills give t	are for the B	orwarding herewith onds held by us in that our Bond he the reverse, at that Bond Sorips esh certificate of he in the account ma	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may ple olding in respect of the sintained by the Small	olding issued in the account of the	by the Small Industries and maintained by the Small transferred in the form of trided to us by registered personnel of the Bonds that an evelopment Bank of India. Yours faithfully, sure(s) of the registered (s)/or his duly	Development Bank of India il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given about continued to be held in
ect of the india, We the idea give when the idea give and indicate the idea give and indicate the idea gives gives and indicate the idea give	are for the B	orwarding herewith onds held by us in that our Bond he the reverse, at that Bond Sorips esh certificate of he in the account ma	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may ple olding in respect of the sintained by the Small	olding issued in the account the account converted an ease be forward balance an Industries D Signation holder author	by the Small Industries and maintained by the Small transferred in the form of trided to us by registered personnel of the Bonds that an evelopment Bank of India. Yours faithfully, sure(s) of the registered (s)/or his duly rised representative	Development Bank of India il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given about continued to be held in
ect of india, We india, ills give We regwith to	are for the B	orwarding herewith onds held by us in that our Bond he the reverse, at that Bond Sorips esh certificate of he in the account ma	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may ple olding in respect of the sintained by the Small	olding issued in the account the account converted an ease be forward balance an Industries D Signate holder author Names	by the Small Industries and maintained by the Small transferred in the form of trided to us by registered personnel of the Bonds that an evelopment Bank of India. Yours faithfully, sure(s) of the registered (s)/or his duly rised representative (s) of the registered holder	Development Bank of India Il Industries Development Bank of India Il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given about a continued to be held in the continued to be held in (s)
ect of india, We india, ills give We regwith to	are for the B	orwarding herewith onds held by us in that our Bond he the reverse, at that Bond Sorips esh certificate of he in the account ma	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may ple olding in respect of the sintained by the Small	olding issued in the account of the	by the Small Industries and maintained by the Small transferred in the form of the Bonds that an evelopment Bank of India. Yours faithfully, sure(s) of the registered (s)/or his duly rised representative (s) of the rogistered holders of exisiting cortificates	Development Bank of India il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given about continued to be held in
water	requesting on one of the fire on try	orwarding herewith onds held by us in the reverse, at that Bond Scrips ash certificate of he in the account manihila please acknowledge.	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may ple olding in respect of the cintained by the Small nowledge receipt.	olding issued in the account the account the account converted an ease be forwar balance an Industries D Signation Named Details of pro-	by the Small Industries and maintained by the Small transferred in the form of transferred in the form of traded to us by registered personnel of the Bonds that an evelopment Bank of India. Yours faithfully, sure(s) of the registered (s)/or his duly rised representative (s) of the rogistered holder of existing cartificates omissory notes.	Development Bank of India II Industries Development Bank of India II Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given about a continued to be held in continued to be held in the continued to be h
wa wa cot of india. We it its give War agwith to of an In the	are (che B requested on on onequested of the free ontry	orwarding herewith onds held by us in the reverse, at that Bond Scrips ash certificate of he in the account manihila please acknowledges.	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may ple olding in respect of the cintained by the Small nowledge receipt.	olding issued in the account the account the account converted an ease be forwar balance an Industries D Signation Named Details of pro-	by the Small Industries and maintained by the Small transferred in the form of transferred in the form of traded to us by registered personnel of the Bonds that an evelopment Bank of India. Yours faithfully, sure(s) of the registered (s)/or his duly rised representative (s) of the rogistered holder of existing cartificates omissory notes.	Development Bank of India II Industries Development Bank of India II Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given about a continued to be held in continued to be held in the continued to be h
was was control of the control of th	are to the B requested on one requested on the free entry	Holding No	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may ple olding in respect of the cintained by the Small nowledge receipt.	olding issued in the account the account the account converted an ease be forward balance an Industries D Signat holder author Named Details of pro-	by the Small Industries and maintained by the Small transferred in the form of trided to us by registered personal of the Bonds that an evelopment Bank of India. Yours faithfully, sure(s) of the registered (s)/or his duly rised representative (s) of the rogistered holder of existing cortificates omissory notes.	Development Bank of India Il Industries Development Bank of India Il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given about a continued to be held in the continued to
wo wo cot of india. We it its give wo regwith to of an In the	are to the B requested on one equipment on the free entry entry mediate of	Holding No	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may ple olding in respect of the sintained by the Small nowledge receipt.	olding issued in the account the account the account converted an ease be forward balance an Industries D Signat holder author Named Details of pro-	by the Small Industries and maintained by the Small transferred in the form of trided to us by registered personal of the Bonds that an evelopment Bank of India. Yours faithfully, sure(s) of the registered (s)/or his duly rised representative (s) of the rogistered holder of existing cortificates omissory notes.	Development Bank of India Il Industries Development Bank of India Il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given about a continued to be held in the continued to
weet of the india. We tails give wor regwith the of an In the Certifica Rs	are to the B requested on one equipment of the free entry	Holding No	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may pleasing in respect of the sintained by the Small nowledge receipt. Series)	olding issued in the account the account the account converted an ease be forward balance an Industries D Signat holder author Named Details of pro-	by the Small Industries and maintained by the Small transferred in the form of the Bonds that an evelopment Bank of India. Yours faithfully, sure(s) of the registered (s)/or his duly rised representative (s) of the rogistered holder of existing certificates omissory notes. dated	Development Bank of India Il Industries Development Bank of India Il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given about a continued to be held in the continued to
We to findia. We tails give We ragwith to of an In the Certifica Rs	the B requests on one equation on the free entry	Holding No	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may pleasing in respect of the sintained by the Small nowledge receipt. Series)	olding issued in the account the account the account converted an ease be forward balance an Industries D Signat holder author Named Details of pro-	by the Small Industries and maintained by the Small transferred in the form of the Bonds that an evelopment Bank of India. Yours faithfully, sure(s) of the registered (s)/or his duly rised representative (s) of the rogistered holder of existing certificates omissory notes. dated	Development Bank of India Il Industries Development Bank of India Il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given about a continued to be held in the continued to
West of India. We it ails give We regwith to of an In the Certifica Rs	are to the B requests on one of the free of the free of the off the of	Holding No	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may pleading in respect of the sintained by the Small nowledge receipt. Series)	olding issued in the account the account the account converted an ease be forward balance an Industries D Signat holder author Named Details of pro-	by the Small Industries and maintained by the Small description of the form of the Bonds that an evelopment Bank of India. Yours faithfully, sure(s) of the registered (s)/or his duly rised representative (s) of the rogistered holders of existing certificates omissory notes.	Development Bank of India Il Industries Development Bank of India Il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given about a continued to be held in the continued to
Certifica Rs Aggree	are to the B requests on one requests the free entry	Holding No	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may pleading in respect of the sintained by the Small nowledge receipt. Series)	olding issued in the account the account the account converted an ease be forward balance an Industries D Signat holder author Named Details of pro-	by the Small Industries and maintained by the Small transferred in the form of the Bonds that an evelopment Bank of India. Yours faithfully, sure(s) of the registered (s)/or his duly rised representative (s) of the rogistered holder of existing certificates omissory notes. dated	Development Bank of India Il Industries Development Bank of India Il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given about a continued to be held in the continued to
Certifica Rs Aggree	are follows the B	Holding No	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may pleading in respect of the sintained by the Small nowledge receipt. Series)	olding issued in the account the account the account converted an ease be forward balance an Industries D Signat holder author Named Details of pro-	by the Small Industries and maintained by the Small description of the form of the Bonds that an evelopment Bank of India. Yours faithfully, sure(s) of the registered (s)/or his duly rised representative (s) of the rogistered holders of existing certificates omissory notes.	Development Bank of India Il Industries Development Bank of India Il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given about a continued to be held in the continued to
Certifica Rs Certifica Rs Certifica Rs	the B requested on one equipment of the free entry the office of the off	Holding No	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may pleading in respect of the sintained by the Small nowledge receipt. Series) Series)	olding issued in the account the account the account converted an ease be forward balance an Industries D Signat holder author Named Details of pro-	by the Small Industries and maintained by the Small description of the form of the Bonds that an evelopment Bank of India. Yours faithfully, sure(s) of the registered (s)/or his duly rised representative (s) of the rogistered holders of existing certificates omissory notes.	Development Bank of India Il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given above continued to be held in the continued to be held in the following and requirement of issue Bond Scrips in
Certifica Rs Certifica Rs Certifica Rs (1)	the B requested on one equipment of the free entry ent	Holding No	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may pleading in respect of the sintained by the Small nowledge receipt. Series) Series)	olding issued in the account t	by the Small Industries and maintained by the Small description of the form of the Bonds that an evelopment Bank of India. Yours faithfully, sure(s) of the registered (s)/or his duly rised representative (s) of the rogistered holders of existing cortificates omissory notes. dated	Development Bank of India Il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given above continued to be held in the continued to be held in the following and requirement of issue Bond Scrips in
Certifica Rs Certifica Rs (1) (2)	the B requests on requests the free entry entre of the off the off Rs. Rs.	Holding No	the certificate of he the form of an entry oldings may please be in this regard may pleading in respect of the sintained by the Small nowledge receipt. Series) Series)	olding issued in the account the account the account converted an ease be forward balance an Industries D. Signat holder author Named Details of pro-	by the Small Industries and maintained by the Small described in the form of the transferred in the form of the transferred in the form of the Bonds that an evelopment Bank of India. Yours faithfully, sure(s) of the registered (s)/or his duly rised representative (s) of the rogistered holder of existing certificates omissory notes.	Development Bank of India Il Industries Development Bank of promissory note(s), as post at our address given above continued to be held in the continued to be held in the following and requirement of issue Bond Scrips in

Form of nomination-substitution of nomination

[Name(s) of the holder(s)]

person(s) to whom, in the event of my/our/minor holder's death, the amount due on the Bonds specified below may be paid:

BONDS Sr. No. Description Distinctive Number Date of Issue 2.

NOMINEE(S)

Name Address Date of Birth Percentage of amount (if the nominee is a minor) payable @ 1.

2

is/are

(Name and Full address) person to receive the amount due thereon in the event of my/our/minor holder's death during the minority of such nominee(s).

44		E GAZETTE OF INDIA		
3. ** us and regis	This nomination is in stered in the books of		dated	made by me/
C'ass				***(Signature of the holder)
1.	ind address of witness	es :		
			Place:	
2.			Date :	
'ai Ind	licate in this column	the percentage of total amount		
		when the nomination is not i		
		when the nomination is not i		made.
ee. If a				n lawfully entitled to act on behalf
FORM XV	I [See Regulation 18(7)]		
		Form of cancellation of	of nomination	
	[N	ame(s) of the holder(s)		do hereby cancel the nomina-
on				Bonds specified below and registered
Sr. No.	Description	Distinctive Number	Date of Issue	Fac Value
1.				
2.				
2.				
3.				The bearing
Place :				
Date :				
				*(Signature of the holder)
				(Name of the holder)
Signatures a	Control of the Contro			
of witnesses	s			
2.				
lf to	he Bond is held in the	name of a minor, the cancellat	tion of nomination should be	signed by a person lawfully entitled
	Marian -	This - p'e		(R. S. AGRAWAL,)
				Managing Director.
FOOT NOT	B: Certified that Ind India (Issue and Ma	lustrial Development Bank of In inagement of Bonds) Regulation	ndia have given approval to Sm ns, 1990 vide their letter dt. J	oll Industria D. J D. J. d.
	THE STATE OF			Manager (Legal)
	IN THE THE			
	757			